अध्याय 2

मानव संसाधन

मुख्य अंश

- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र मे आईपीएचएस मानकों के अनुसार स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में चिकित्सकों, नर्सों एवं पैरामेडिक्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई मानव संसाधन नीति नहीं बनाई गई थी। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ में स्वीकृत 74,797 पदों के विरूद्ध 25,793 (34 प्रतिशत) कार्मिकों की कमी थी।
- यद्यपि, राज्य में चिकित्सक जनसंख्या अनुपात में 2016–22 के दौरान सुधार हुआ था एवं मार्च 2022 तक यह 1: 2,492 था, लेकिन यह अभी भी डब्ल्यूएचओ के 1:1,000 के मानक एवं 1:1,456 के राष्ट्रीय अनुपात से बहुत पीछे था। राज्य में जनसंख्या के आधार पर चिकित्सकों के पद समान रूप से स्वीकृत नहीं किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप जिलों में चिकित्सकों का असमान वितरण हुआ, जिसमें 2,181 व्यक्तियों से लेकर 10,969 व्यक्तियों पर एक ही चिकित्सक था।
- 23 जिला चिकित्सालयों में आईपीएचएस मानकों में निर्धारित मानदंडों से विशेषज्ञ चिकित्सकों (तीन प्रतिशत), स्टाफ नर्स (27 प्रतिशत) एवं पैरामेडिकल स्टाफ (24 प्रतिशत) के स्वीकृत पदों की कमी थी। साथ ही, स्वीकृत पदों के विरूद्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों (33 प्रतिशत), चिकित्सा अधिकारी (चार प्रतिशत) एवं पैरामेडिक्स (13 प्रतिशत) की उपलब्धता में भी कमी थी।
- राज्य के 172 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आईपीएचएस मानकों से विशेषज्ञ चिकित्सकों (79 प्रतिशत), स्टाफ नर्स (पाँच प्रतिशत) एवं पैरामेडिक्स (तीन प्रतिशत) की कमी थी। राज्य के 776 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आईपीएचएस मानकों से चिकित्सा अधिकारियों (33 प्रतिशत), स्टाफ नर्स (42 प्रतिशत) एवं पैरामेडिक्स (50 प्रतिशत) की कमी थी।
- राज्य में 4,996 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पदों के विरूद्ध एएनएम (सहायक नर्स एवं दाई) के 17 प्रतिशत पद रिक्त थे। 502 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में एएनएम पदस्थ नहीं थी एवं इस तरह इन उप स्वास्थ्य केन्द्रों में गर्भवती महिलाओं को आईपीएचएस मानकों के अनुसार मातृत्व सेवाएं प्रदान नहीं की जा सकीं।
- राज्य में 23 एमसीएच में चिकित्सकों (256), स्टाफ नर्स (528) एवं पैरामेडिकल स्टाफ (131) के संवर्ग में कुल 915 पदों की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध, चिकित्सकों (190), स्टाफ नर्स (366) एवं पैरामेडिकल (138) के संवर्ग में कुल 694 कार्मिक पदस्थ थे, जिससे इनमे 24.15 प्रतिशत पद रिक्त थे। शेष सात एमसीएच विंग्स में चिकित्सकों, स्टाफ नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ के पद स्वीकृत नहीं किए गए थे।
- नमूना जाँच किए गए पाँच जीएमसी/जीएमसीएच में विशेषज्ञ चिकित्सकों, स्टाफ नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ की कमी क्रमशः 58 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत; 64 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत; 55 प्रतिशत एवं 24 प्रतिशत के बीच थी।
- डीकेएसपीजीआई सुपर स्पेश्यालिटी चिकित्सालय, रायपुर में स्वीकृत पदों की संख्या 280 के विरुद्ध, केवल नौ (3.21 प्रतिशत) चिकित्सक (2), स्टाफ नर्स (5) एवं

पैरामेडिकल स्टाफ (2) के पद नियमित स्टाफ से भरे गए तथा 208 पद संविदा स्टाफ से भरे गए।

- नमूना जाँच किए गए जीएमसीएच में आईसीयू में स्टाफ नर्स से बेड का अनुपात मानकों 1:1 के विरुद्ध 1:20 तक था एवं गैर–आईसीयू वार्डों में यह अनुपात मानकों 1:3 के विरुद्ध 1:39 तक था। इसके अलावा, स्टाफ नर्स की स्वीकृत संख्या भी एमसीआई मानकों से कम थी एवं इसे बेड क्षमता के अनुसार तय नहीं किया गया था।
- यद्यपि, 2016–22 के दौरान चार नए जीएमसी एवं एक निजी कॉलेज खोले गए एवं प्रवेश क्षमता (यूजी) 1,100 से बढ़ाकर 1,370 कर दी गई, लेकिन मार्च 2022 तक कोई भी जीएमसी अधिकतम स्वीकार्य प्रवेश क्षमता प्राप्त नहीं कर सका।
- आयुष संस्थानों में चिकित्सकों (29 प्रतिशत), स्टाफ नर्स (60 प्रतिशत) एवं पैरामेडिक्स (30 प्रतिशत) की कमी थी एवं आयुर्वेद कॉलेजों में शिक्षण स्टाफ के 29 प्रतिशत पद रिक्त थे।
- चयनित जिलों में, 538 आयुर्वेदिक औषधालयों में से 130 बिना चिकित्सक के संचालित थे।

2.1 प्रस्तावना

मानव संसाधन (एचआर) प्रबंधन स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एवं इसका व्यवस्थित प्रबंधन महत्वपूर्ण है। चिकित्सालयों में पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी काफी हद तक चिकित्सकों, स्टाफ नर्सों (एसएन), पैरामेडिकल एवं अन्य सहायक कर्मचारियों की पर्याप्त उपलब्धता पर निर्भर करती है।

2.2 मानव संसाधन प्रबंधन के लिए नीति/मानक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 स्वास्थ्य क्षेत्र मे मानव संसाधन के प्रबंधन हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना के रोडमैप को विधिवत स्वीकार करती है। एनआरएचएम 2012–17 के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा, आईपीएचएस मानकों के अनुरूप एचआर में रिक्ति को भरने का प्रावधान करती है, लेकिन केस लोड के अनुपात में। आईपीएचएस एवं एनएमसी विभिन्न स्तर के स्वास्थ्य संस्थानों के लिए एचआर की न्यूनतम आवश्यक एवं वांछनीय आवश्यकता निर्धारित करते हैं। लेखापरीक्षा मे पाया गया कि विभाग द्वारा आईपीएचएस/एनएमसी मानकों के अनुसार स्वास्थ्य संस्थानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मानव संसाधन (अर्थात चिकित्सक, एसएन, पैरामेडिकल एवं अन्य कर्मचारी) की उपलब्धता में रिक्ति को भरने के लिए कोई मानव संसाधन नीति तैयार नहीं की गई थी ।

डीएचएस द्वारा बताया (जनवरी 2023) गया कि 2004 में एचआर नीति तैयार की गई थी, यद्यपि, इसे लागू नहीं किया गया था एवं वर्तमान स्थिति की समीक्षा करके एचआर नीति तैयार करने का आश्वासन दिया।

2.3 स्वीकृत पदों के सापेक्ष मानव संसाधन की उपलब्धता

लेखापरीक्षा द्वारा संचालनालयों (स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष एवं खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन) से स्वीकृत पदों के सापेक्ष मानव संसाधन की उपलब्धता के आंकड़े एकत्र किए गए। 31 मार्च 2022 की स्थिति मे राज्य में लोक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की संयुक्त स्थिति *तालिका–2.1* में प्रस्तुत की गई है:

तालिका – 2.1: मार्च 2022 की स्थिति मे मानव संसाधन की संचालनालयवार स्थिति

विभाग/संस्था का नाम	स्वीकृत पद संख्या स्वास्थ्य सेवा कार्यबल	कुल कार्यबल में हिस्सा (प्रतिशत में)	वास्तविक कार्यरत पदों की स्थिति	रिक्त पद	रिक्तियाँ (प्रतिशत में)
संचालक स्वास्थ्य सेवाएं (डीएचएस)	38,369	51	26,868	11,501	30
संचालक चिकित्सा शिक्षा (डीएमई)	13,359	18	4,976	8,383	63
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)	17,183	23	13,253	3,930	23
आयुष	5,189	7	3,648	1,541	30
खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन (एफडीसीए)	697	1	259	438	63
योग	**74,797**	**100**	**49,004**	**25,793**	**34**

(स्रोतः विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021–22 एवं स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

कलर कोड

कोई कमी नही	कमी सीमा		
	1–25 प्रतिशत	*25–50प्रतिशत*	*50–100 प्रतिशत*

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि मार्च 2022 की स्थिति मे राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में कुल स्वीकृत पदों 74,797 के विरूद्ध 49,004 जनशक्ति पदस्थ की गई थी, जिससे 34 प्रतिशत रिक्तियां रह गईं ।

स्वास्थ्य विभाग में 31 मार्च 2022 की स्थिति मे मानव संसाधन की स्थिति ***चार्ट–2.1*** में दर्शाई गई है। वर्ष 2019–22 की अवधि के दौरान, छत्तीसगढ़ शासन ने 1794 चिकित्सकों, 1620 स्टाफ नर्स एवं 3047 पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए प्रकाशित भर्ती के विरूद्ध नियमित आधार पर राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में 789 चिकित्सकों, 844 स्टाफ नर्स एवं 1043 पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती[1] की थी। चिकित्सकों, स्टाफ नर्स एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरने में विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की कमी के कारण राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

[1] डीएचएस द्वारा विधान सभा प्रश्न के उत्तरों से लेखापरीक्षा द्वारा आंकड़ों का संकलन ।

चार्ट – 2.1: राज्य में लोक स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन की स्थिति
(31 मार्च 2022 की स्थिति मे)

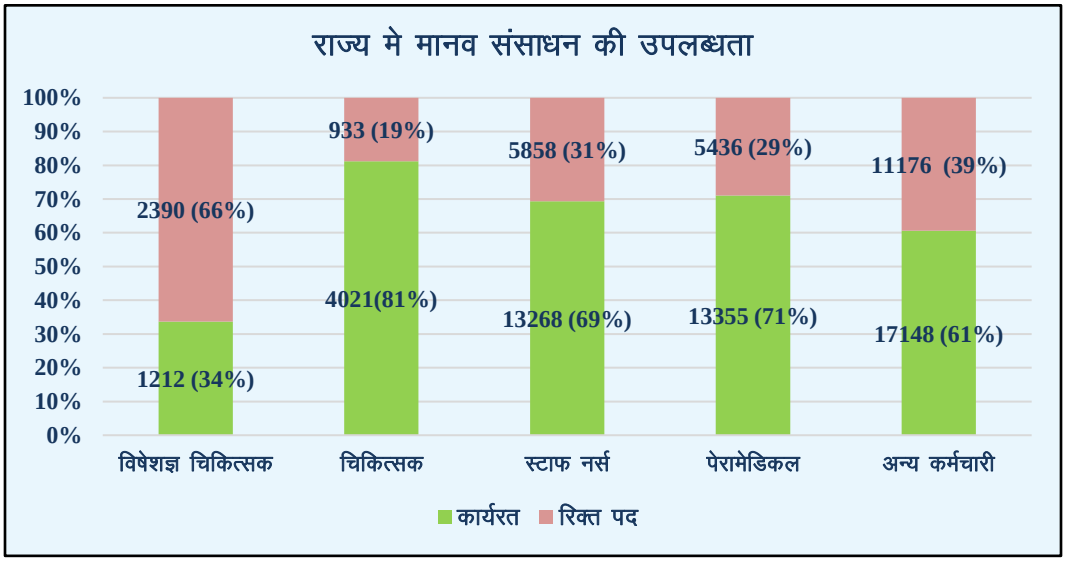

(स्रोत : प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021–22 एवं स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपरोक्त चार्ट से पता चलता है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं चिकित्सा अधिकारियों की रिक्तियां क्रमशः 66 प्रतिशत एवं 19 प्रतिशत थीं। इसी तरह, स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों की रिक्तियां मार्च 2022 की स्थिति मे क्रमशः 31 प्रतिशत, 29 प्रतिशत एवं 39 प्रतिशत थी।

राज्य में मार्च 2022 की स्थिति मे मानव संसाधन की स्थिति का समग्र संचालनालयवार विवरण अनुवर्ती कंडिकाओं में दर्शाया गया है:

2.4 संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (डीएचएस) के अंतर्गत विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की उपलब्धता

डीएचएस में कुल 38,369 स्वीकृत पदों में से 11,501 पद (29.97 प्रतिशत) रिक्त थे। श्रेणीवार रिक्ति की स्थिति *तालिका–2.2* में दर्शाया गया है।

तालिका – 2.2: मार्च 2022 की स्थिति मे डीएचएस के अंतर्गत विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की उपलब्धता

वर्ग	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	रिक्तियाँ (प्रतिशत)
चिकित्सक	3,813	2,493	1,320	34.62
नर्सिंग कैडर	13,386	10,260	3,126	23.35
पैरामेडिक्स	11,912	8,351	3,561	29.89
अन्य	9,258	5,764	3,494	37.74
योग	**38,369**	**26,868**	**11,501**	**29.97**

(स्रोत :विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021–22)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2022 की स्थिति मे चिकित्सकों (34.62 प्रतिशत), नर्सों (23.35 प्रतिशत), पैरामेडिक्स (29.89 प्रतिशत) एवं अन्य

(37.74 प्रतिशत) संवर्ग में रिक्तियां थीं। 31 मार्च 2022 की स्थिति मे डीएचएस के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पदों पर रिक्तियों की स्थिति *तालिका – 2.3* में दर्शाई गई है:

तालिका – 2.3: डीएचएस के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पदों पर रिक्तियों की स्थिति

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	रिक्तियाँ (प्रतिशत में)
	चिकित्सक				
1	विशेषज्ञ चिकित्सक	1,586	310	1,276	80.45
2	चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सक	2,227	2,183	44	1.97
	उप योग (अ)	**3,813**	**2,493**	**1,320**	**34.62**
	नर्सिंग संवर्ग				
1	ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला)	6,191	5,209	982	15.86
2	पर्यवेक्षक (महिला)	1,133	829	304	26.83
3	स्टाफ नर्स	5,698	4,080	1,618	28.40
4	नर्सिंग सिस्टर एवं अन्य	364	142	222	60.99
	उप योग (ब)	**13,386**	**10,260**	**3,126**	**23.35**
	पेरामेडिक्स				
1	पर्यवेक्षक (पुरुष)	974	819	155	15.91
2	पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	5,353	3,959	1,394	26.04
3	नेत्र सहायक अधिकारी	842	515	327	38.84
4	दंत तकनीशियन	25	0	25	100
5	ओ. टी. तकनीशियन	98	6	92	93.88
6	ईसीजी तकनीशियन	26	0	26	100
7	ऑडियोमेट्रिशियन	1	0	1	100
8	डर्मेटोलॉजी तकनीशियन	1	0	1	100
9	फार्मेसिस्ट	1,329	981	348	26.19
10	रेडियोग्राफर	271	206	65	23.99
11	मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट	1,319	1,003	316	23.96
12	प्रयोगशाला सहायक	54	18	36	66.67
13	ड्रेसर	1,225	522	703	57.39
14	अन्य पैरामेडिकल स्टाफ	394	322	72	18.27
	उप योग (स)	**11,912**	**8,351**	**3,561**	**29.89**
	अन्य कर्मचारी				
1	ओपीडी अटेंडेंट	120	18	102	85.00
2	ओ.टी. अटेंडेंट	323	170	153	47.37
3	अकाउंटेंट/सहायक ग्रेड/कैशियर	1,682	1,200	482	28.66
4	वाहन चालक	560	394	166	29.64
5	चपरासी	640	487	153	23.91

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	रिक्तियाँ (प्रतिशत में)
6	वार्ड बॉय	1,307	853	454	34.74
7	वार्ड आया	1,406	678	728	51.78
8	सफाईकर्मी	725	527	198	27.31
9	वॉशर	162	117	45	27.78
10	चौकीदार	274	178	96	35.04
11	अन्य	2,059	1,142	917	44.54
	उप योग (द)	**9,258**	**5,764**	**3,494**	**37.74**
सकल योग (अ)+(ब)+(स)+(द)		**38,369**	**26,868**	**11,501**	**29.97**

(स्रोत: विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021–22)

कलर कोड:

अधिकता/कोई कमी नहीं	कमी सीमा		
	1–25 प्रतिशत	*25–50प्रतिशत*	*50–100 प्रतिशत*

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि डेंटल टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ऑडियोमेट्रिशियन, डर्मेटोलॉजी टेक्नीशियन के पद पर रिक्ति 100 प्रतिशत थी, इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण पद अर्थात ओटी टेक्नीशियन (94 प्रतिशत) एवं ओपीडी अटेंडेंट (85 प्रतिशत) में भी भारी कमी थी ।

2.4.1 जिला स्तर पर लोक स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों के स्वीकृत पदों का असमान वितरण

डीएचएस के अंतर्गत चिकित्सकों[2] के कुल 3,813 पद स्वीकृत हैं, अर्थात 6,665 व्यक्तियों[3] पर एक शासकीय चिकित्सक। यह पाया गया कि चिकित्सकों के स्वीकृत पदों का जनसंख्या के साथ कोई संबंध नहीं है, जैसा कि मानचित्र *चार्ट–2.2* में दर्शाया गया है ।

[2] चिकित्सकों में विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा अधिकारी शामिल हैं।

[3] जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 2.54 करोड़

चार्ट–2.2: जिला स्तर पर चिकित्सकों के स्वीकृत पदों का असमान वितरण

कलर कोड : जनसंख्या सीमा के लिए एक चिकित्सक का स्वीकृत पद

4000 से कम	4000–6000	6000–8000	8000 से अधिक

चार्ट–2.2 में मानचित्र से स्पष्ट है, दंतेवाड़ा जिले में 2,181 लोगों के लिए एक चिकित्सक, जबकि रायपुर जिले में 10,969 व्यक्तियों के लिए एक चिकित्सक का पद स्वीकृत किया गया था।

2.4.2 राज्य में चिकित्सकों की जिलेवार उपलब्धता

डीएचएस में चिकित्सकों के कई पदनाम हैं जैसे कि विशेषज्ञ चिकित्सक, चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन इत्यादि। कुल मिलाकर, डीएचएस में कुल 3,813 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 2,493 शासकीय चिकित्सक उपलब्ध हैं। इस प्रकार, 31 मार्च 2022 की स्थिति मे राज्य में चिकित्सकों के 34.62 प्रतिशत पद रिक्ते थे। रिक्तियों की जिलावार स्थिति जनसंख्या सहित *तालिका – 2.4* में दर्शाई गई है:

तालिका – 2.4: मार्च 2022 की स्थिति मे डीएचएस के अंतर्गत चिकित्सकों की जिलेवार उपलब्धता

स. क.	जिले का नाम	जनगणना के अनुसार जनसंख्या (2011)	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	रिक्त पद (प्रतिशत में)
1	रायपुर	21,60,876	197	212	–15	–
2	दुर्ग	17,21,726	196	181	15	7.65
3	बिलासपुर	16,25,502	185	140	45	24.32
4	जांजगीर–चांपा	16,19,707	189	89	100	**52.91**
5	राजनांदगांव	15,37,133	188	118	70	37.23
6	रायगढ़	14,93,627	191	132	59	30.89
7	बलौदाबाजार	13,05,343	129	77	52	40.31
8	कोरबा	12,06,563	133	118	15	11.28
9	महासमुंद	10,32,754	117	89	28	23.93
10	जशपुर	8,51,669	148	91	57	38.51
11	सरगुजा	8,40,352	150	115	35	23.33
12	बस्तर	8,34,375	173	76	97	**56.07**
13	बालोद	8,26,165	121	81	40	33.06
14	कबीरधाम	8,22,526	116	56	60	**51.72**
15	धमतरी	7,99,781	120	74	46	38.33
16	बेमेतरा	7,95,759	106	80	26	24.53
17	सूरजपुर	7,89,043	153	114	39	25.49
18	कांकेर	7,48,941	159	94	65	40.88
19	मुंगेली	7,01,707	112	85	27	24.11
20	कोरिया	6,58,917	110	84	26	23.64
21	बलरामपुर	5,98,855	143	70	73	**51.05**
22	गरियाबंद	5,97,653	114	79	35	30.70

स. क.	जिले का नाम	जनगणना के अनुसार जनसंख्या (2011)	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	रिक्त पद (प्रतिशत में)
23	कोंडागांव	5,78,326	122	48	74	60.66
24	गौरेला–पेंड्रा – मरवाही	3,36,420	96	38	58	60.42
25	दंतेवाड़ा	2,83,479	130	62	68	52.31
26	बीजापुर	2,55,230	88	28	60	68.18
27	सुकमा	2,50,159	75	31	44	58.67
28	नारायणपुर	1,39,820	52	31	21	40.38
योग		2,54,12,408	3813	2493	1320	34.62

(स्रोत : विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021–22)

कलर कोड:

अधिकता/कोई कमी नहीं	कमी सीमा		
	1–25 *प्रतिषत*	25–50 *प्रतिषत*	50–100 *प्रतिषत*

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि रायपुर को छोड़कर सभी 28 जिलों में चिकित्सकों के पद रिक्त थे, जहाँ स्वीकृत पदों से 15 चिकित्सक अधिक पदस्थ थे। जिला स्तर पर पदों की संख्या के संदर्भ में रिक्तियां दुर्ग में 15 (सबसे कम) से लेकर जांजगीर–चांपा जिले में 100 (सबसे अधिक) तक थीं। नौ जिलों में रिक्तियों का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक, 10 जिलों में 25 से 50 प्रतिशत एवं आठ जिलों में 25 प्रतिशत से कम था। प्रतिशत के संदर्भ में, जिलों में चिकित्सकों के आठ प्रतिशत से 68 प्रतिशत पद रिक्त थे, जो छत्तीसगढ़ के जिलों में उपलब्ध चिकित्सकों के विषम वितरण को दर्शाता है, जिसे निम्नलिखित ***चार्ट – 2.3*** में दर्शाया गया है।

चार्ट – 2.3: राज्य में चिकित्सकों की जिलावार रिक्तियों को दर्शाने वाला हीटमैप

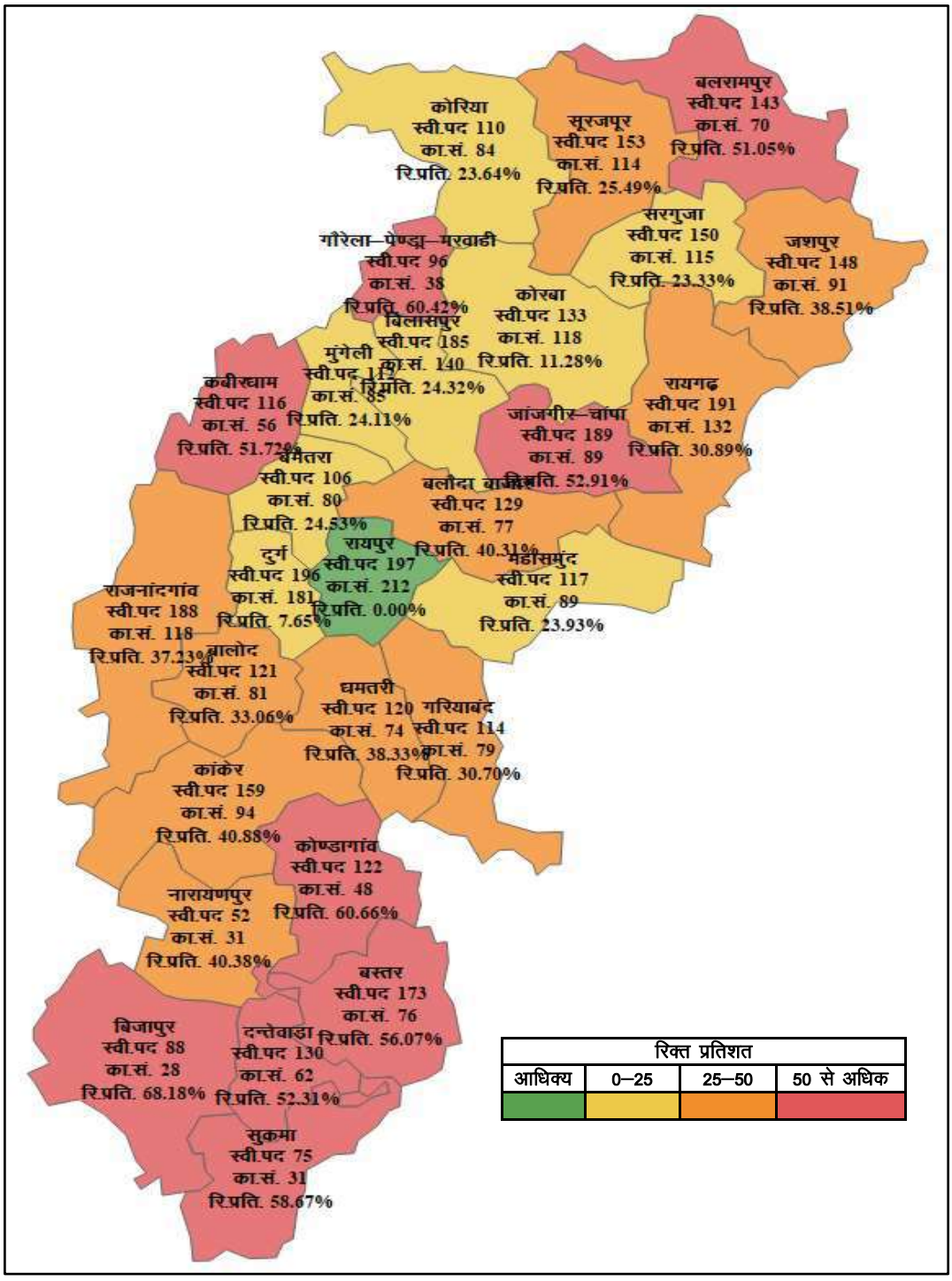

2.4.3 राज्य में जनसंख्या के अनुपात में चिकित्सक

मार्च 2022 की स्थिति में डीएचएस के अंतर्गत संचालित प्राथमिक एवं माध्यमिक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 3,081 चिकित्सक (डीएचएस से 2,493 + एनएचएम/डीएमएफटी से 588 संविदा) सेवाएं दे रहे हैं । इससे छत्तीसगढ़ में 8,248 व्यक्तियों के लिए एक शासकीय चिकित्सक की

उपलब्धता बनती है। यह पाया गया कि जिला स्तर पर शासकीय चिकित्सकों की उपलब्धता एक समान नहीं है, तथा यह नारायणपुर जिले में 2,975 व्यक्तियों के लिए एक शासकीय चिकित्सक से लेकर जांजगीर–चांपा जिले में 12,754 व्यक्तियों के लिए एक चिकित्सक तक है, जैसा कि *चार्ट – 2.4* में दर्शाया गया है ।

चार्ट – 2.4: छत्तीसगढ़ के जिलों में चिकित्सक जनसंख्या का असमान अनुपात

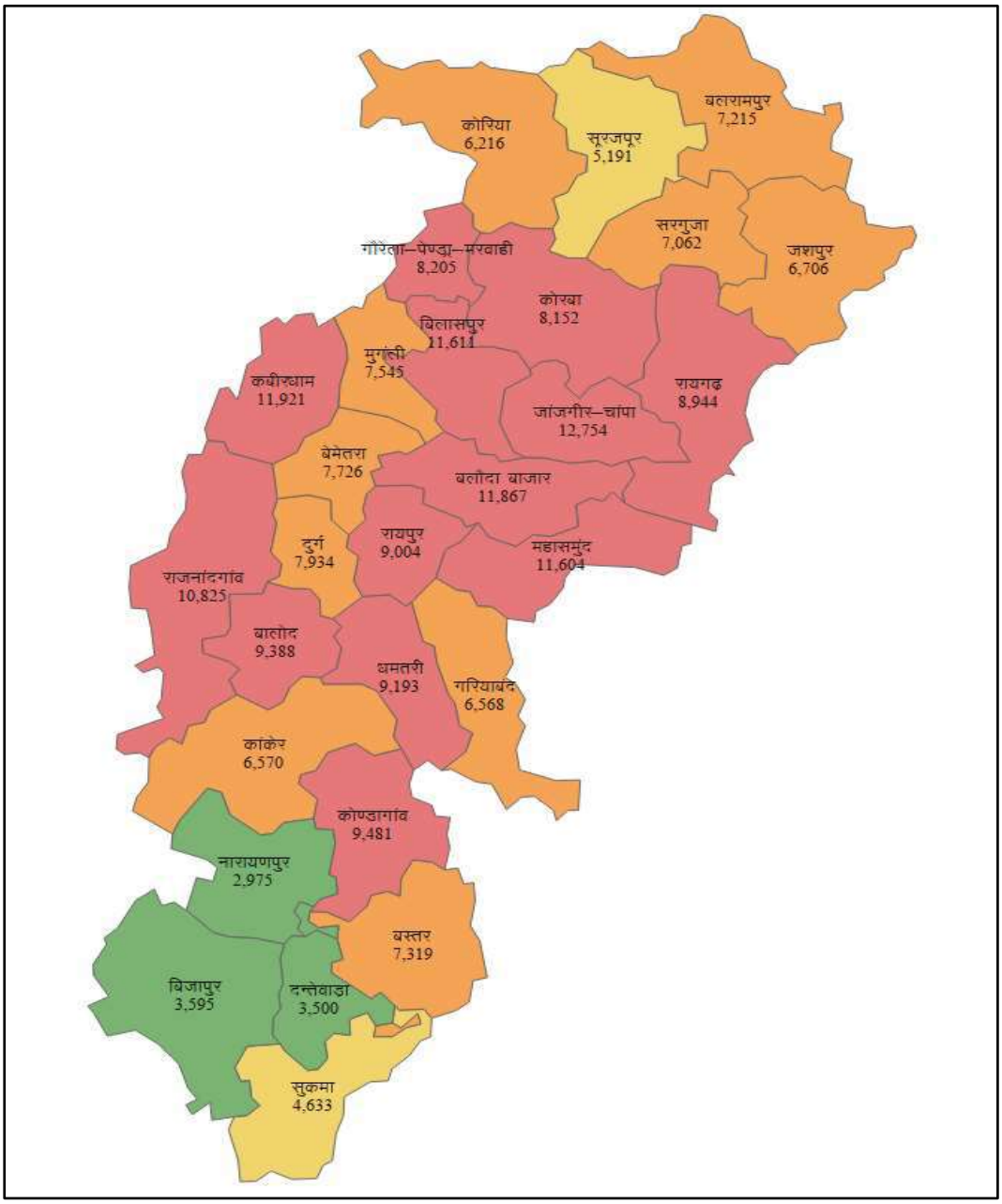

कलर कोड: **जनसंख्या सीमा के लिए एक चिकित्सक की उपलब्धता**

4000 से कम	4000–6000	6000–8000	8000 से अधिक

2.4.4 चिकित्सक जनसंख्या अनुपात का रुझान

2011 की जनगणना के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या 2,54,12,408 थी । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने प्रति 1,000 की आबादी पर एक चिकित्सक की अनुशंसा की थी। तदनुसार, राज्य में 25,412 चिकित्सक होने चाहिए। छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल (सीजीएमसी) के अभिलेखों के अनुसार, मार्च 2022 की स्थिति मे राज्य में कुल 11,975 पंजीकृत चिकित्सक (शासकीय तथा निजी) थे। राज्य की अनुमानित जनसंख्या (2021–22) के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 2,492 की आबादी के लिए एक चिकित्सक कार्यरत था, जो डब्ल्यूएचओ की अनुशंसा से कम था।

लेखापरीक्षा मे पाया गया कि विभाग द्वारा वर्षवार चिकित्सक जनसंख्या अनुपात का संधारण नहीं किया गया था । चूंकि विभाग ने जनसंख्या के अनुपात में चिकित्सकों की कोई वर्षवार जानकारी संधारित नहीं की थी , इसलिए लेखापरीक्षा ने राज्य की अनुमानित जनसंख्या एवं सीजीएमसी में पंजीकृत चिकित्सकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए इसकी गणना की, जैसा कि ***तालिका – 2.5*** में विस्तृत है:

तालिका – 2.5: वर्षवार जनसंख्या, पंजीकृत चिकित्सक एवं चिकित्सक जनसंख्या अनुपात दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	अनुमानित जनसंख्या (लाख मे) भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार	सीजीएमसी में पंजीकृत चिकित्सक	राज्य में चिकित्सक जनसंख्या अनुपात
2016–17	279.56	7,190	1:3888
2017–18	283.40	7,975	1:3554
2018–19	287.24	8,808	1:3261
2019–20	291.09	9,847	1:2956
2020–21	294.93	11,024	1:2675
2021–22	298.36	11,975	1:2492

(स्रोत : सीजीएमसी द्वारा दी गई जानकारी)

वर्ष 2016–22 के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के विरूद्ध चिकित्सक जनसंख्या[4] अनुपात का रुझान निम्नलिखित ***चार्ट–2.5*** में दर्शाया गया है:

[4] एमओएचएफडब्ल्यू की जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रकाशित आंकड़े

चार्ट – 2.5: विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से वर्षवार चिकित्सक–जनसंख्या अनुपात को दर्शाने वाला चार्ट

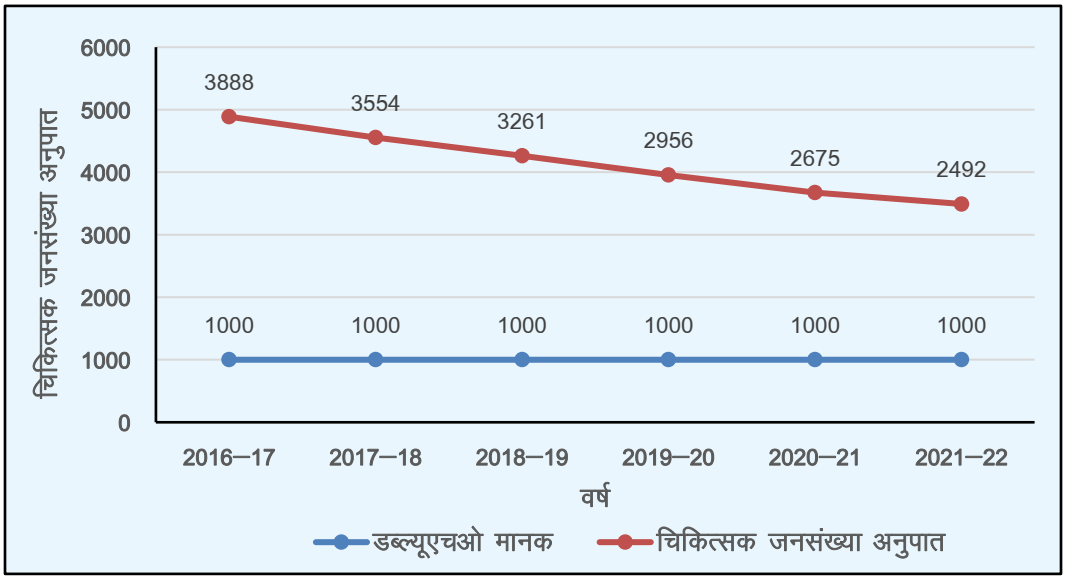

चार्ट–2.5 से देखा जा सकता है कि यद्यपि 2016–22 के दौरान जनसंख्या के प्रति चिकित्सक के अनुपात में काफी सुधार हुआ है, तथापि यह राष्ट्रीय अनुपात (1:1456) एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों (1:1000) से काफी कम है।

डीएमई द्वारा बताया (जुलाई 2022) गया कि विभाग चिकित्सक जनसंख्या अनुपात की गणना नहीं करता है तथा चिकित्सकों के पंजीकरण का अभिलेख सीजीएमसी द्वारा संधारण किया जाता है।

उत्तर से पुष्टि होती है कि विभाग द्वारा चिकित्सक जनसंख्या अनुपात का संधारण नहीं किया गया था एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार मानक चिकित्सक जनसंख्या अनुपात को प्राप्त करने के लिए कोई नीति या योजना तैयार नहीं की गई थी।

2.4.5 नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता

डीएचएस के अंतर्गत नर्सिंग संवर्ग में स्वीकृत पदों की संख्या 13,386 के विरूद्ध नर्सिंग स्टाफ की कुल उपलब्धता 10,260 थी, जबकि 3,126 पद रिक्त थे। इसी प्रकार पैरामेडिकल स्टाफ संवर्ग के अंतर्गत स्वीकृत पदों की संख्या 11,912 के विरूद्ध स्टाफ की उपलब्धता 8,351 थी, जबकि 3,561 पद रिक्त थे।

जिलावार नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ संवर्ग मे स्वीकृत पदों के विरूद्ध उपलब्धता मे कमी (प्रतिशत में) जिलों में जनशक्ति की विषम उपलब्धता को दर्शाती है, जैसा कि *चार्ट–2.6 (अ)* एवं *(ब)* में दर्शाया गया है:

चार्ट– 2.6 (अ) :नर्सिंग स्टाफ में जिलेवार रिक्ति की स्थिति (प्रतिशत में)

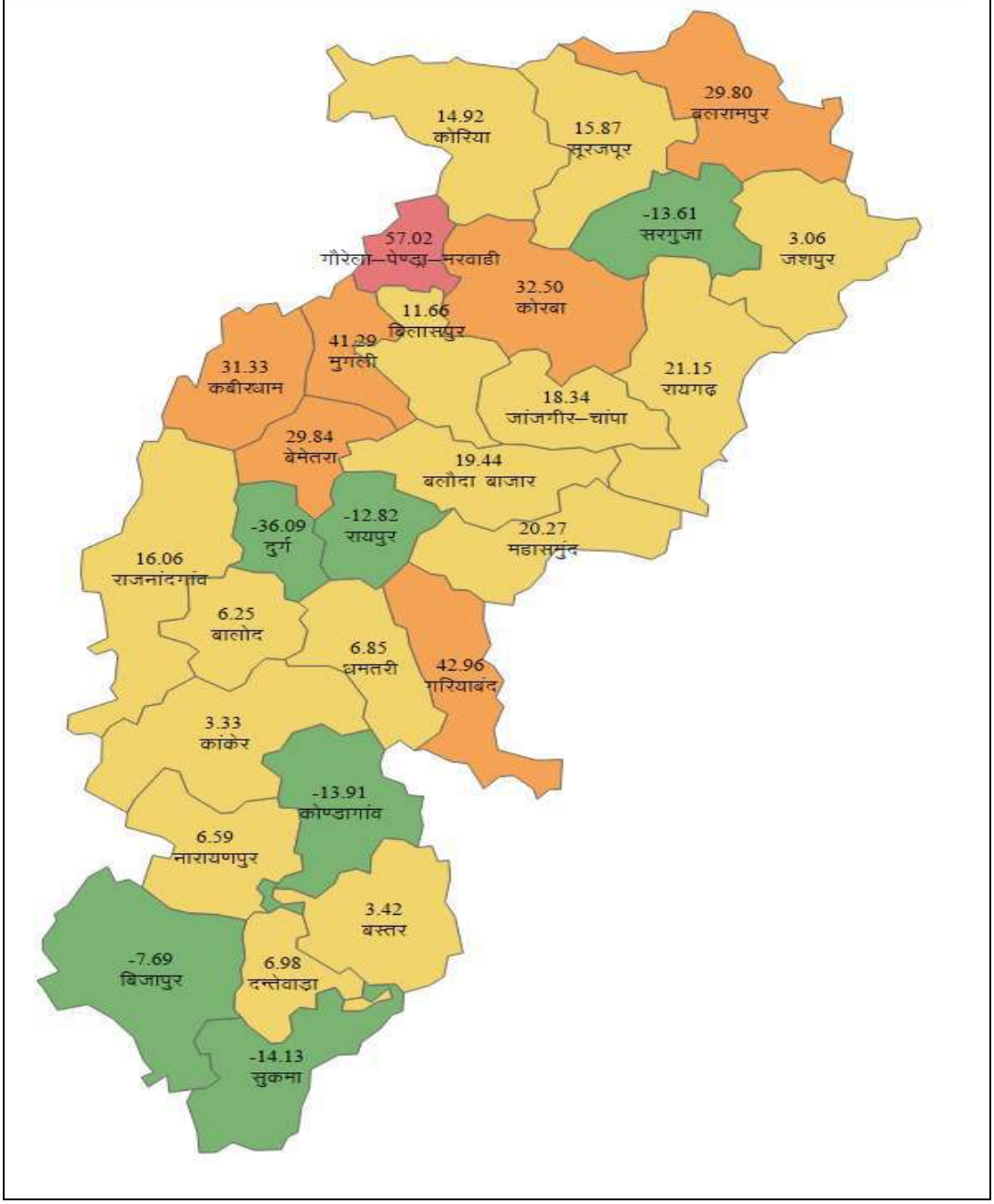

(स्रोत : सीएमएचओ द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का विश्लेषण)

अतिरिक्त या शून्य	0–25 प्रतिशत	25–50 प्रतिशत	50 प्रतिशत से अधिक

चार्ट – 2. 6 (ब): पैरामेडिकल स्टाफ में जिलेवार रिक्ति की स्थिति (प्रतिशत में)

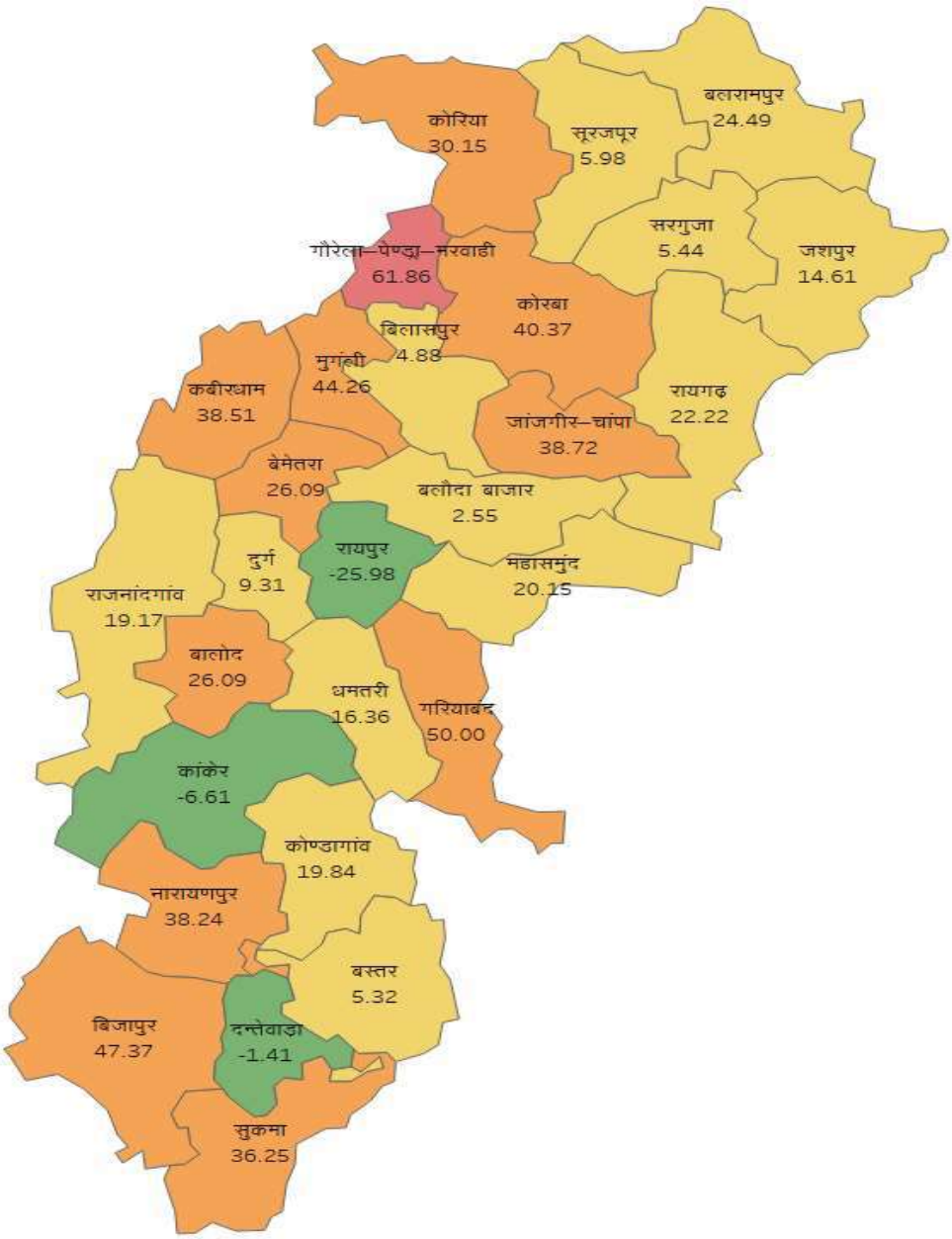

(स्रोत : सीएमएचओ द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का विश्लेषण)

कलर कोड :

अतिरिक्त या शून्य	0–25 प्रतिशत	25–50 प्रतिशत	50 प्रतिशत से अधिक

उपरोक्त मानचित्र से देखा जा सकता है कि 22 जिलों में स्टाफ नर्स की कमी 57 प्रतिशत तक थी । लेखापरीक्षा मे आगे पाया कि छह जिलों में स्वीकृत पदों के विरूद्ध 36 प्रतिशत तक अतिरिक्त स्टाफ नर्स पदस्थ थे। इसी तरह, 25 जिलों में पैरामेडिकल स्टाफ के पद 62 प्रतिशत तक रिक्त थे तथा तीन जिलों में स्वीकृत पदों के विरूद्ध 26 प्रतिशत तक अतिरिक्त थे।

2.5 राज्य में डीएच/एमसीएच/सीएचसी/पीएचसी/एसएचसी में मानव संसाधन

चिकित्सालयों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना व्यापक रूप से चिकित्सकों, नर्सों, पैरा–मेडिकल एवं अन्य सहायक कर्मचारियों की पर्याप्त उपलब्धता पर निर्भर करता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग के पास राज्य भर के चिकित्सालयों में स्वीकृत पदों एवं चिकित्सकों, नर्सों एवं पैरामेडिकल कर्मचारियों की पदस्थापना का कोई केंद्रीकृत डेटाबेस नहीं था। इस जानकारी के अभाव में, राज्य में कर्मचारियों की कुल कमी का पता नहीं लगाया जा सका।

आईपीएचएस मानकों में यह प्रावधान किया गया है कि भर्ती मरीजों को उचित चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए आईपीडी में चौबीसों घंटे चिकित्सक एवं नर्स उपलब्ध होने चाहिए। ये मानक स्वीकृत बिस्तरों की संख्या के अनुसार जिला स्तर तक विभिन्न चिकित्सालयों में उपलब्ध चिकित्सकों एवं नर्सों की न्यूनतम संख्या भी निर्धारित करते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपने गठन (नवंबर 2000) के पश्चात् राज्य में स्वास्थ्य संस्थानों (डीएच, सीएचसी, पीएचसी एवं एसएचसी) की विभिन्न श्रेणियों में मानव संसाधन के आवंटन के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए थे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर स्वास्थ्य संस्थानों में पदस्थ किए जाने वाले विभिन्न मानव संसाधनों की स्वीकृत संख्या अधिसूचित की गई थी।

2.5.1 जिला चिकित्सालयों में जनशक्ति की उपलब्धता

राज्य में मार्च 2022 की स्थिति में 500 बिस्तरों वाला एक जिला चिकित्सालय[5] (डीएच) दुर्ग, 200 बिस्तरों वाले पाँच डीएच तथा 100 बिस्तरों वाले 17 डीएच[6] संचालित थे। छत्तीसगढ़ शासन ने चिकित्सकों, नर्सों तथा अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के 2,672 पद स्वीकृत किए थे, जिनमें से 1,936 (72.45 प्रतिशत) नियमित आधार पर पदस्थ थे, जिससे डीएच में 736 (27.55 प्रतिशत) रिक्तियां रह गईं। विभाग ने विभिन्न संवर्गों के अंतर्गत संविदा के आधार पर 836 जनशक्ति नियुक्त की थी। सभी डीएच में स्वीकृत सेटअप तथा आईपीएचएस मानकों के विरूद्ध मानव संसाधन का विवरण *तालिका – 2.6* में दर्शाया गया है:

तालिका – 2.6: राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों मे स्वीकृत पद एवं आईपीएचएस मानकों के विरूद्ध मानव संसाधनों की उपलब्धता

संवर्ग	आई पी एच एस मानकों के अनुसार	स्वीकृत पद (एसएस)	कार्यरत पद			आईपीएचएस मानकों के विरुद्ध रिक्तियां (प्रतिशत में)	एसएस के विरुद्ध रिक्तियां (प्रतिशत में)
			नियमित	संविदा	कुल कार्यरत		
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (7/2X100)	8(8/3X100)
विशेषज्ञ चिकित्सक							
जनरल मेडिसीन	49	45	24	3	27	22 (44.90)	18 (40.00)
जनरल सर्जरी	48	44	19	5	24	24 (50)	20 (45.45)

[5] डीएचः बस्तर, बिलासपुर, धमतरी, रायपुर एवं राजनांदगांव

[6] डीएचः बालोद, बलौदाबाजार, बलरामपुर, बेमेतरा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, जीपीएम, जांजगीर–चांपा, जशपुर, कबीरधाम, कोंडागांव, कोरिया, मुंगेली, नारायणपुर, सुकमा एवं सूरजपुर

संवर्ग	आई पी एच एस मानकों के अनुसार	स्वीकृत पद (एसएस)	कार्यरत पद			आईपीएचएस मानकों के विरुद्ध रिक्तियां (प्रतिशत में)	एसएस के विरुद्ध रिक्तियां (प्रतिशत में)
			नियमित	संविदा	कुल कार्यरत		
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (7 / 2X100)	8(8 / 3X100)
प्रसूति एवं स्त्री रोग	55	47	29	7	36	19 (34.55)	11 (23.40)
शिशु रोग	54	46	29	6	35	19 (35.19)	11 (23.91)
निश्चेतना	48	43	16	6	22	**26 (54.17)**	21 (48.84)
नेत्र विज्ञान	24	25	17	5	22	2 (8.33)	3 (12)
अस्थि रोग	24	26	20	5	25	–1 (–4.17)	1 (3.85)
रेडियोलोजी	24	27	16	2	18	6 (25)	9 (33.33)
पैथोलॉजी	31	38	17	2	19	12 (38.71)	19 (50)
ईएनटी	24	26	17	2	19	5 (20.83)	7 (26.92)
दन्त चिकित्सा	25	27	25	4	29	–4 (–16)	–2 (–7.41)
मनोरोग	23	22	2	0	2	**21 (91.3)**	**20 (90.91)**
योग विशेषज्ञ चिकित्सक (अ)	**429**	**416**	**231**	**47**	**278**	**151(35.20)**	**138(33.17)**
आयुष चिकित्सक (ब)	24	11	12	0	12	12 (50)	–1 (.9.09)
चिकित्सा अधिकारी (स)	275	450	350	81	431	–156 (–56.73)	19 (4.22)
उप–योग चिकित्सा अधिकारी	**299**	**461**	**362**	**81**	**443**	**–144(–48.16)**	**18(3.90)**
स्टाफ नर्स (द)	1440	1057	854	308	1162	278 (19.31)	–105 (–9.93)
पैरामेडिकल स्टाफ (ई)	785	598	390	130	520	265 (33.76)	78 (13.04)
अन्य (फ)	262	140	99	270	369	–107 (–40.84)	–229 (–163.57)
महायोग (अ)+(ब)+(स) +(द) +(ई)+(फ)	**3215**	**2672**	**1936**	**836**	**2772**	**443 (13.78)**	**–100 (–0.04)**

(स्रोत : डीएच द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित)

कलर कोड :

अधिकता/कोई कमी नहीं	कमी सीमा		
	1–25 *प्रतिशत*	25–50 *प्रतिशत*	**50–100 *प्रतिशत***

उपरोक्त तालिका से लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- डीएच के लिए आईपीएचएस मानकों की तुलना में जनरल मेडिसीन, जनरल सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग, शिशु रोग, एनेस्थेटिक सेवाएं जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्स एवं पैरामेडिक्स आदि की स्वीकृत पद संख्या मे कमी थी।
- आईपीएचएस मानकों के अंतर्गत आवश्यक 429 विशेषज्ञ चिकित्सकों के विरूद्ध, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 416 पदों की स्वीकृति दी गई थी। राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की रिक्तियां आईपीएचएस मानकों एवं स्वीकृत पद के विरूद्ध क्रमशः 35.20 प्रतिशत एवं 33.17 प्रतिशत थी।
- सभी जिला चिकित्सालयों में स्वीकृत 461 पदों के विरूद्ध 18 (4 प्रतिशत) चिकित्सकों (चिकित्सा अधिकारी एवं आयुष) की कमी थी।
- स्टाफ नर्स के पद आईपीएचएस मानकों के अनुसार स्वीकृत नहीं थे, नौ 100 बिस्तर वाले डीएच[7] में, 45 के विरूद्ध 19 से 37 पद; पाँच 200 बिस्तर वाले डीएच[8] में, 90 के विरूद्ध 45 से 67 एवं एक 500 बिस्तर वाले डीएच में, 225 के विरूद्ध 121 पद स्वीकृत थे। स्टाफ नर्स संवर्ग में कुल रिक्तियां आईपीएचएस मानकों के विरूद्ध 19.31 प्रतिशत थी।
- आईपीएचएस मानकों एवं स्वीकृत पद के विरुद्ध पैरामेडिकल संवर्ग में रिक्तियां क्रमशः 33.76 एवं 13.04 प्रतिशत थी।

23 जिला चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों, चिकित्सा अधिकारियों, स्टाफ नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता का विवरण **परिशिष्ट 2.1** एवं निम्नलिखित *चार्ट – 2.7 (अ), (ब), (स) एवं (द)* में दर्शाया गया है:

चार्ट – 2.7(अ): जिला चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता (संविदा कर्मचारियों सहित)

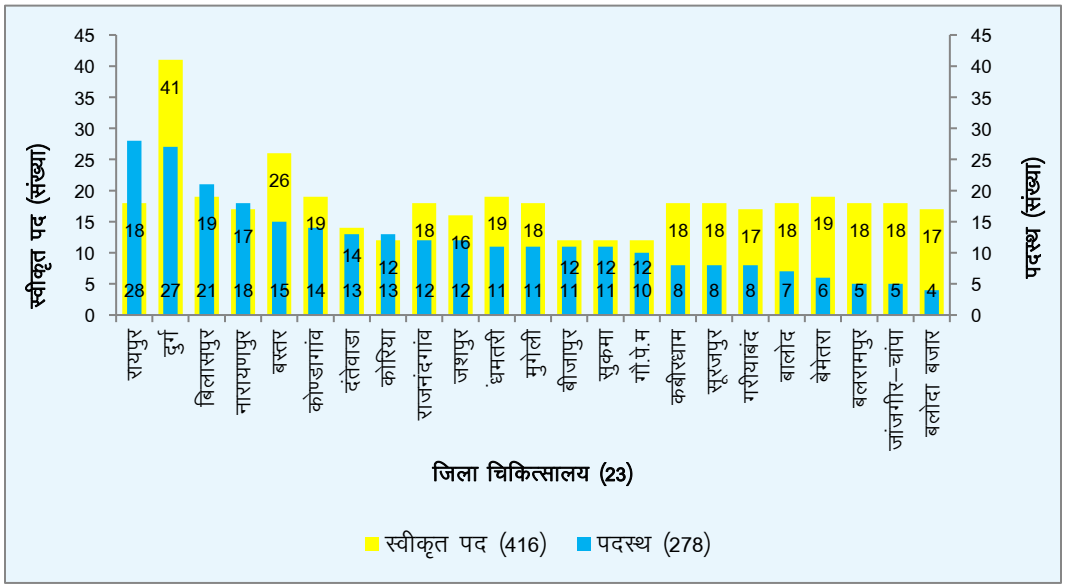

[7] बालोद, बलौदाबाजार, बलरामपुर, बेमेतरा, बीजापुर, गरियाबंद, कोंडागांव, सुकमा एवं सूरजपुर

[8] बस्तर, बिलासपुर, धमतरी, रायपुर, राजनांदगांव

चार्ट – 2.7 (ब): जिला चिकित्सालयों में चिकित्सा अधिकारियों की उपलब्धता (संविदा कर्मचारियों सहित)

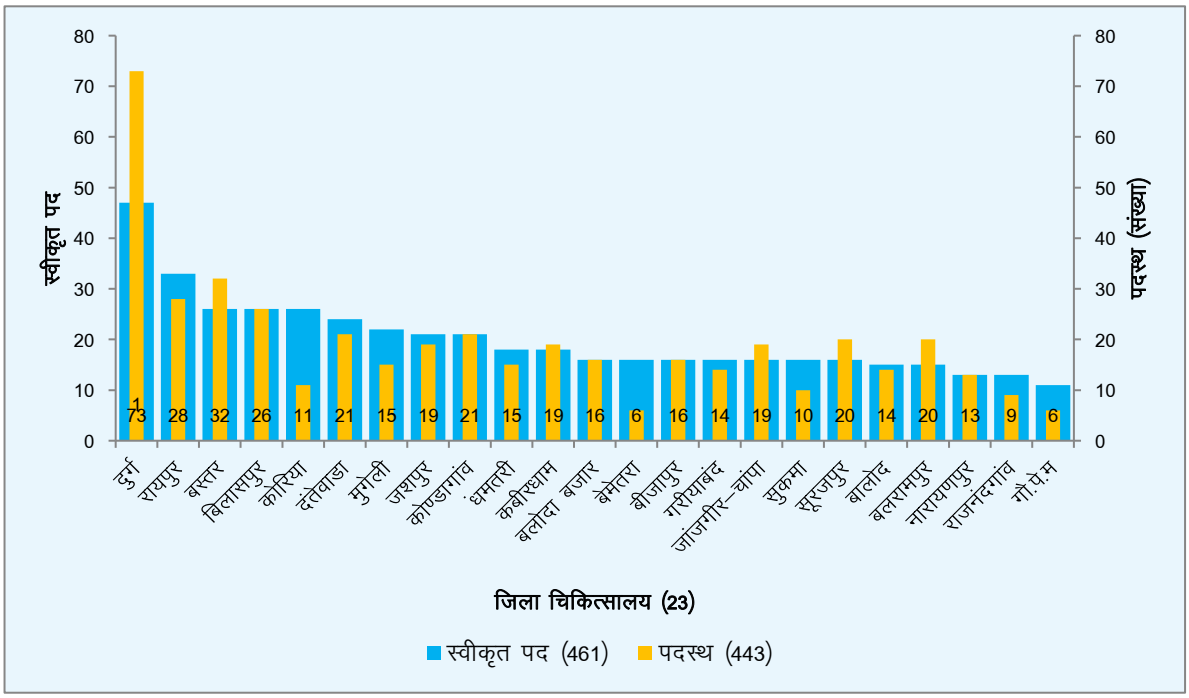

चार्ट – 2. 7(स): जिला चिकित्सालयों में स्टाफ नर्स की उपलब्धता (संविदा कर्मचारियों सहित)

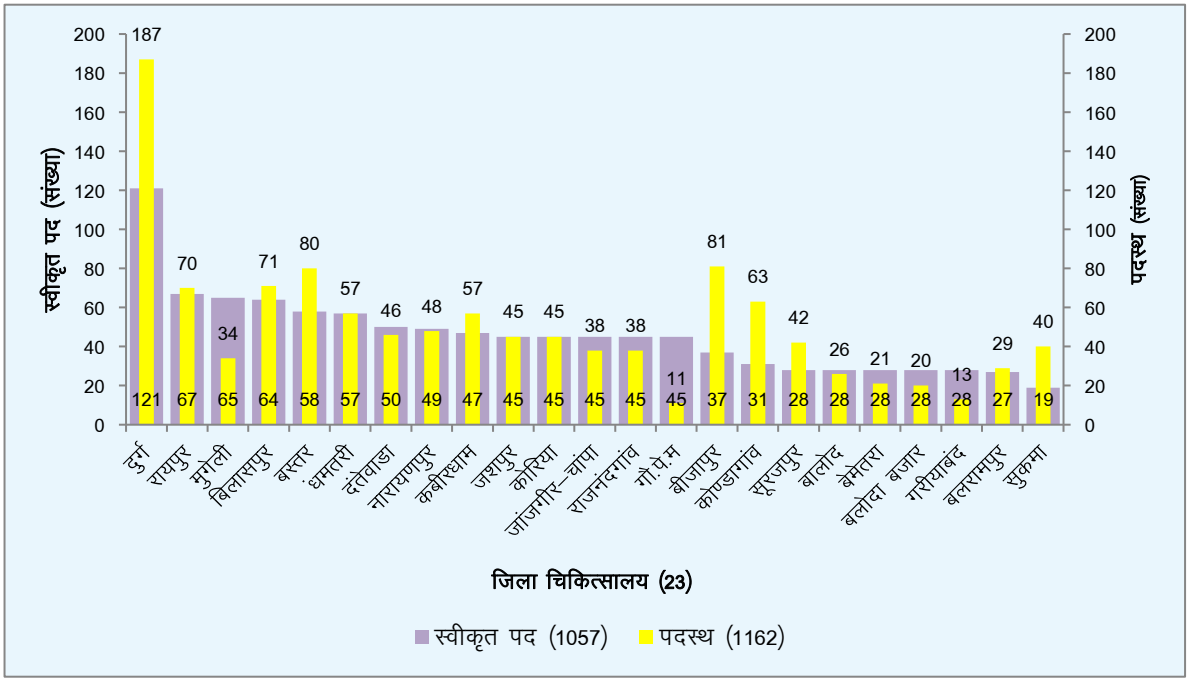

चार्ट – 2.7 (द): जिला चिकित्सालयों में पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता (संविदा कर्मचारियों सहित)

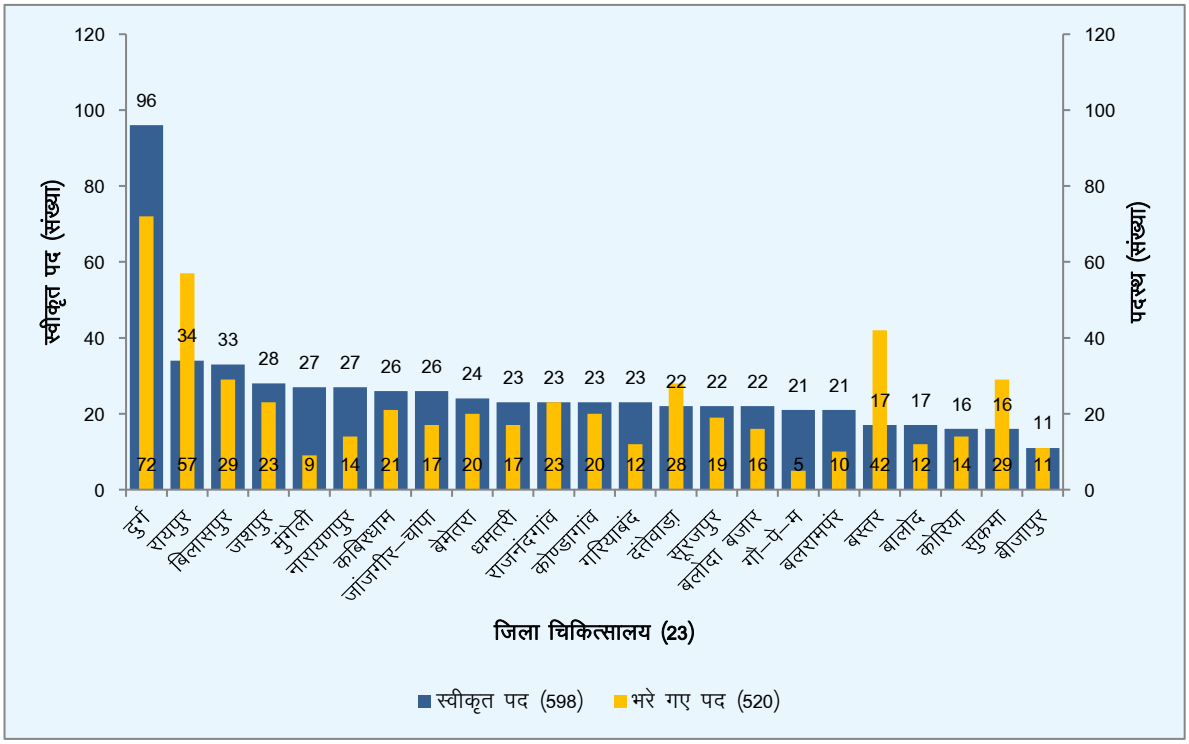

2.5.2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मानव संसाधन की उपलब्धता

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के 172 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विभिन्न संवर्गों के 4,720 पद नामतः चिकित्सक (1,221), स्टाफ नर्स (1,606), पैरामेडिकल स्टाफ (1,014) एवं अन्य (879) स्वीकृत किए गए थे। मार्च 2022 की स्थिति मे स्वीकृत 4,720 पदों में से 4,657 व्यक्तियों को पदस्थ किया गया था, जिसमें चिकित्सक (1,032), स्टाफ नर्स (1,628), पैरामेडिकल स्टाफ (1,163) एवं अन्य (834) शामिल हैं। तदनुसार, राज्य में 1.33 प्रतिशत रिक्तियां थी, जैसा कि **परिशिष्ट 2.2** एवं *तालिका – 2.7* में दर्शाया गया है:

तालिका – 2.7: राज्य के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पद एवं आईपीएचएस मानकों के विरूद्ध मानव संसाधनों की उपलब्धता

संवर्ग	आईपीएचएस मानकों के अनुसार आवश्यक	स्वीकृत पद संख्या	पदस्थ		पदस्थ मानव संसाधन का योग	आईपीएचएस मानकों से कमी/अधिकता (प्रतिशत में)	स्वीकृत पद से कमी/अधिकता (प्रतिशत में)
			नियमित	संविदा			
जनरल सर्जन	172	142	8	0	8	164 (95.35)	134 (94.37)
चिकित्सक	172	77	24	0	24	148 (86.05)	53 (68.83)
प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ	172	163	22	0	22	150 (87.21)	141 (86.5)
षिषु रोग विशेषज्ञ	172	162	33	0	33	139 (80.81)	129 (79.63)
एनेस्थेटिस्ट	172	146	3	0	3	169 (98.26)	143 (97.95)

संवर्ग	आईपीएचएस मानकों के अनुसार आवश्यक	स्वीकृत पद संख्या	पदस्थ		पदस्थ मानव संसाधन का योग	आईपीएचएस मानकों से कमी/अधिकता (प्रतिशत में)	स्वीकृत पद से कमी/अधिकता (प्रतिशत में)
			नियमित	संविदा			
डेंटल सर्जन	172	79	49	79	128	44 (25.58)	–49 (–62.03)
उप योग (विशेषज्ञ चिकित्सक)	**1,032**	**769**	**139**	**79**	**218**	**814(78.88)**	**551 (71.65)**
जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी	344	432	424	74	498	–154 (–44.77)	–66 (–15.28)
चिकित्सा अधिकारी (आयुष)	172	20	9	307	316	–144 (–83.74)	–296 (–1480)
कुल चिकित्सक	**1,548**	**1,221**	**572**	**460**	**1,032**	**516 (33.33)**	**189(15.48)**
स्टाफ नर्स	1,720	1,606	1,246	382	1,628	92(5.35)	–22 (–1.37)
पैरामेडिकल स्टाफ	1,204	1014	733	430	1,163	41 (3.41)	–149 (–14.69)
अन्य	2,752	879	526	308	834	**1918 (69.69)**	45 (5.12)
योग	**7,224**	**4,720**	**3,077**	**1,580**	**4,657**	**2567 (35.53)**	**63 (1.33)**

(स्रोत : सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा दी गई जानकारी)

कलर कोड:

अधिकता/कोई कमी नहीं	कमी सीमा		
	1–25 *प्रतिषत*	25–50 *प्रतिषत*	**50–100 *प्रतिषत***

उपरोक्त तालिका से लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- विभिन्न विशेषज्ञ संवर्गों जैसे जनरल सर्जरी (83 प्रतिशत), चिकित्सक (45 प्रतिशत), प्रसूति एवं स्त्री रोग (95 प्रतिशत), शिशु रोग (94 प्रतिशत), एनेस्थीसिया (85 प्रतिशत), एवं दंत चिकित्सक (46 प्रतिशत), चिकित्सा अधिकारी (आयुष) (12 प्रतिशत), स्टाफ नर्स (93 प्रतिशत) एवं पैरामेडिक्स (84 प्रतिशत) में स्वीकृत पद संख्या आईपीएचएस मानकों के अनुसार नहीं थी, जबकि जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी पद पर स्वीकृत पद संख्या आईपीएचएस मानकों से अधिक (126 प्रतिशत) थी।
- 172 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत 4,720 पदों में से 3,077 (65.19 प्रतिशत) पद नियमित आधार पर तथा 1,580 (33.47 प्रतिशत) पद संविदा आधार पर भरे गए थे तथा 1.33 प्रतिशत पद रिक्त थे।
- राज्य के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों मे आईपीएचएस मानकों एवं स्वीकृत पदों के विरूद्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी क्रमशः 78.88 प्रतिशत एवं 71.65 प्रतिशत थी।
- एनेस्थीसिया एवं जनरल सर्जरी में स्वीकृत पदों के विरूद्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी क्रमशः 143 (97.95 प्रतिशत) एवं 134 (94.37 प्रतिशत) थी, जबकि डेंटल सर्जन स्वीकृत पदों से अधिक संख्या में पदस्थ थे।
- आईपीएचएस मानकों के विरुद्ध स्टाफ नर्स, पैरामेडिक्स एवं अन्य पदों पर क्रमशः 92 (5.35 प्रतिशत), 41 (3.41 प्रतिशत) एवं 1,918 (69.69 प्रतिशत) रिक्तियां थी।

2.5.3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मानव संसाधन की उपलब्धता

आईपीएचएस मानकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के लिए चिकित्सा अधिकारियों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए मानक निर्धारित किए गए थे। मार्च 2022 की स्थिति मे राज्य के सभी पीएचसी में स्वीकृत पदों एवं आईपीएचएस मानकों के विरुद्ध वास्तविक कार्यरत कर्मियों का विवरण *परिशिष्ट 2.3* एवं *चार्ट – 2.8* में दर्शाया गया है:

चार्ट – 2.8: राज्य के सभी पीएचसी में चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल एवं अन्य कर्मचारियों का विवरण

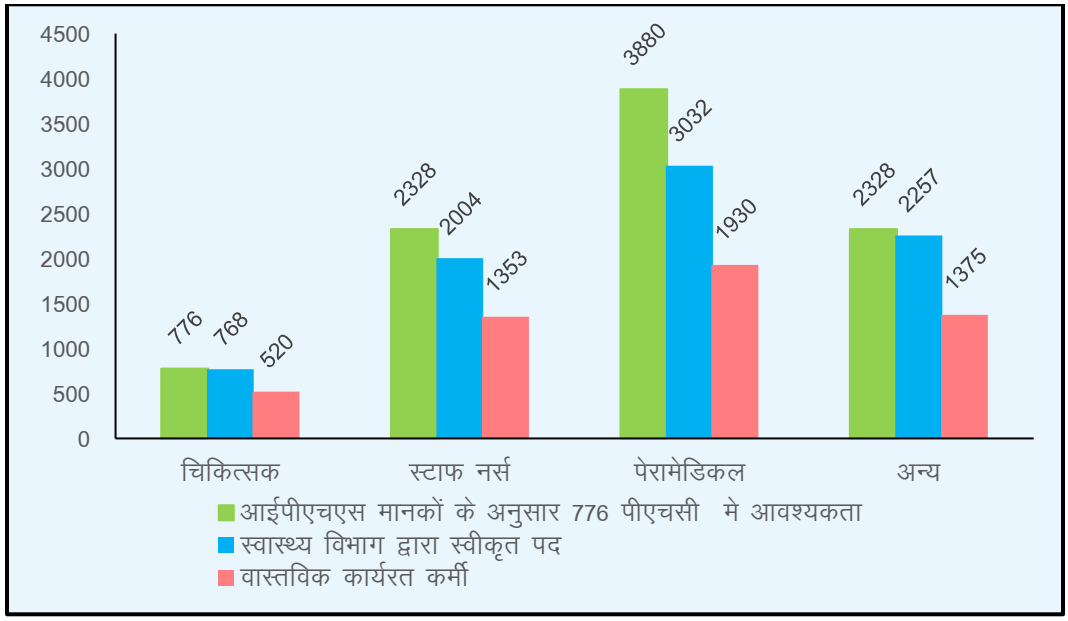

(स्रोत: सीएमएचओ द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि:

- आईपीएचएस मानकों के अनुसार 776 की आवश्यकता के विरूद्ध पीएचसी में 256 (33 प्रतिशत) चिकित्सकों (चिकित्सा अधिकारी) की कमी थी। इसके अलावा, आईपीएचएस मानकों के विरूद्ध 975 स्टाफ नर्स (42 प्रतिशत) एवं 1,950 पैरामेडिकल (50 प्रतिशत) की भारी कमी थी।
- राज्य में चिकित्सा अधिकारियों की कमी के कारण 633 ग्रामीण चिकित्सा सहायक[9] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे थे।
- चिकित्सा अधिकारियों के 768 स्वीकृत पदों के सापेक्ष, 520 (68 प्रतिशत) पद भरे गए थे। 2,004 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 1,353 (68 प्रतिशत) स्टाफ नर्स एवं 3,032 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 1,930 (64 प्रतिशत) पैरामेडिकल स्टाफ पदस्थ किए गए थे।

[9] ग्रमीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए, छत्तीसगढ़ ने चिकित्सा सहायकों के लिए तीन वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है

2.5.4 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में मानव संसाधन की उपलब्धता

आईपीएचएस मानकों में प्रत्येक एसएचसी में एक सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) एवं एक ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरुष) (आरएचओ–एम) की नियुक्ति का प्रावधान है।

मार्च 2022 की स्थिति मे 4,996 एसएचसी में 6,505 एएनएम एवं 4,891 आरएचओ (एम) के स्वीकृत सेट–अप के विरूद्ध 5,413 एएनएम एवं 3,506 आरएचओ (एम) पदस्थ थे एवं इन पदों पर क्रमशः 1,092 (16.79 प्रतिशत) एवं 1,385 (28.32 प्रतिशत) रिक्तियां थी। 502 एसएचसी में कोई एएनएम तैनात नहीं थी, जिसके कारण आईपीएचएस मानकों के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक देखभाल प्रदान नहीं की जा सकी।

2.5.5 मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग में मानव संसाधन की उपलब्धता

भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए (2013–14) 30 एमसीएच विंग (50 बिस्तर वाले: 19, 100 बिस्तर वाले: 10, 300 बिस्तर वाले: एक) स्वीकृत किए गए थे। 30 एमसीएच विंग में से पाँच एमसीएच विंग[10], भवन के बुनियादी ढांचे की कमी के कारण कार्यशील नहीं थे। 23 एमसीएच विंग के लिए मानव संसाधन सेट–अप को स्वीकृति दी गई थी। जबकि, शेष सात[11] एमसीएच विंग के लिए, मानव संसाधन का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन को स्वीकृति के लिए भेजा गया था ।

राज्य में एमसीएच विंग की उपलब्धता, स्वीकृत पद, भरे पद एवं रिक्त पदों को *तालिका– 2.8* में दर्शाया गया है:

तालिका – 2.8: मार्च 2022 तक राज्य में एमसीएच विंग में स्वीकृत पद एवं पदस्थ संख्या

एमसीएच विंग	पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	रिक्तियां (प्रतिशत)
100 बिस्तर (8)	विशेषज्ञ चिकित्सक	96	40	56	58.33
	चिकित्सा अधिकारी	40	79	39 (अतिरिक्त)	–
	स्टाफ नर्स	288	195	93	32.29
	पैरामेडिक्स	56	68	–12	–
50 बिस्तर (15)	विशेषज्ञ चिकित्सक	75	14	61	81.33
	चिकित्सा अधिकारी	45	57	–12	–
	स्टाफ नर्स	240	171	69	28.75
	पैरामेडिक्स	75	70	5	6.66
योग		**915**	**694**	**221**	**24.15**

(स्रोत : डीएचएस /स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

तालिका से पता चलता है कि चिकित्सक, स्टाफ नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ संवर्ग में कुल 915 पदों के सापेक्ष 694 पद भरे गए, जिनमें रिक्तियां 24.15 प्रतिशत रही ।

[10] बीजापुर, कांकेर जिले के पखांजुर, महासमुंद जिले के पिथौरा, कोरिया एवं जीएमसीएच रायपुर

[11] जीएमसीएच रायपुर, डीएच रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बीजापुर, पखांजुर एवं कोरिया

नमूना जाँच किए गए 10 एमसीएच[12] विंग में लेखापरीक्षा ने पाया कि छह एमसीएच[13] विंग में कुल स्वीकृत पद संख्या 267 (चिकित्सक, स्टाफ नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ) के विरूद्ध 242 (90.64 प्रतिशत) कर्मचारी पदस्थ थे। स्वीकृत सेटअप के अभाव में दो एमसीएच विंग[14] डीएच की मौजूदा जनशक्ति के साथ काम कर रहे थे। दो एमसीएच विंग[15] निर्माणाधीन थे।

डीएचएस द्वारा बताया गया (जनवरी 2023) कि मानव संसाधन सेटअप के लिए प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत कर दिया गया है।

2.6 मानव संसाधन की कमी एवं नमूना जाँच किए गए जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति पर इसका प्रभाव

चयनित सात जिलों में चिकित्सकों/स्टाफ नर्स/पैरामेडिकल स्टाफ के स्वीकृत/भरे पदों की संख्या *तालिका–2.9* में दी गई है:

तालिका – 2.9: चयनित जिलों के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की कमी

जिले का नाम	इकाई का नाम (संख्या)	चिकित्सक			स्टाफ नर्स			पैरामेडिकल स्टाफ		
		स्वीकृत पद	भरे पद	कमी (प्रतिशत में)	स्वीकृत पद	भरे पद	कमी (प्रतिशत में)	स्वीकृत पद	भरे पद	कमी (प्रतिशत में)
बालोद	डीएच बालोद	33	21	36.36	28	26	7.14	17	12	29.41
	सीएचसी	43	33	23.26	60	64	–6.67	30	29	3.33
	पीएचसी	29	18	37.93	72	60	16.67	98	65	33.67
	एसएचसी	एन.ए.[16]	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	616	458	25.65
बिलासपुर	डीएच बिलासपुर	45	47	–4.44	64	71	–10.94	33	29	12.12
	सीएचसी	42	25	40.48	52	46	11.54	29	35	–20.69
	पीएचसी	41	29	29.27	107	80	25.23	141	126	10.64
	एसएचसी	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	556	395	**28.96**
कोंडागांव	डीएच कोंडागांव	40	35	12.5	31	63	–103.23	23	20	13.04
	सीएचसी	46	27	41.3	62	68	–9.68	35	42	–20
	पीएचसी	17	13	23.53	58	41	29.31	74	48	35.14
	एसएचसी	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	626	457	27
कोरिया	डीएच बैकुंठपुर	38	24	36.84	45	45	0	16	14	12.5

[12] बालोद, बिलासपुर, कोंडागांव, रायपुर, सुकमा, सूरजपुर, भैयाथान सीएचसी, बिल्हा सीएचसी, कारिया एवं जीएमसीएच रायपुर

[13] डीएच बालोद, डीएच कोंडागांव, डीएच सुकमा, डीएच सूरजपुर, सीएचसी भैयाथान एवं सीएचसी बिल्हा

[14] डीएच रायपुर एवं डीएच बिलासपुर

[15] कोरिया एवं जीएमसीएच रायपुर

[16] एन.ए. – लागू नहीं

जिले का नाम	इकाई का नाम (संख्या)	चिकित्सक			स्टाफ नर्स			पैरामेडिकल स्टाफ		
		स्वीकृत पद	भरे पद	कमी (प्रतिशत में)	स्वीकृत पद	भरे पद	कमी (प्रतिशत में)	स्वीकृत पद	भरे पद	कमी (प्रतिशत में)
	सीएचसी	43	38	11.63	59	65	–10.17	38	28	26.32
	पीएचसी	29	7	75.86	77	44	42.86	105	73	30.48
	एसएचसी	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	604	425	29.64
रायपुर	डीएच रायपुर	51	56	–9.8	67	70	–4.48	34	57	–67.65
	सीएचसी	38	53	–39.47	58	78	–34.48	34	58	–70.59
	पीएचसी	19	15	21.05	36	34	5.56	72	65	9.72
	एसएचसी	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	525	381	27.43
सुकमा	डीएच सुकमा	28	21	25	19	40	–110.53	16	29	–81.25
	सीएचसी	22	12	45.45	30	33	–10	21	13	38.1
	पीएचसी	15	4	73.33	43	32	25.58	58	13	77.59
	एसएचसी	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	308	190	38.31
सूरजपुर	डीएच सूरजपुर	34	28	17.65	28	42	–50	22	19	13.64
	सीएचसी	58	55	5.17	83	82	1.2	56	83	–48.21
	पीएचसी	36	29	19.44	78	35	55.13	141	100	29.08
	एसएचसी	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	717	544	24.13

(स्रोत : नमूना जाँच किये गये जिलों द्वारा दी गई जानकारी)

कलर कोड :

अधिकता/कोई कमी नहीं	कमी सीमा		
	1–25 प्रतिषत	25–50 प्रतिषत	50–100 प्रतिषत

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि चयनित जिलों में स्वास्थ्य संस्थानों में सभी श्रेणियों में रिक्तियां थीं। मानव संसाधन की कमी के कारण, नमूना–जाँच किए गए जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जैसा कि इस रिपोर्ट के **अध्याय – 3** में बताया गया है।

2.7 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मानव संसाधन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधनों की पूर्ति करता है जो सीधे तौर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में एवं साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन में संलग्न हैं। मोटे तौर पर, कार्य की प्रकृति के आधार पर, एनएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधनों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

(i) कार्यक्रम प्रबंधन (पीएम): एनएचएम के पास राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर इसके अंतर्गत सभी कार्यक्रमों की योजना बनाने एवं कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयाँ (पीएमयू) हैं। सभी मानव संसाधन जो पीएमयू में नियुक्त हैं एवं/या

स्वास्थ्य संस्थानों मे प्रशासनिक या प्रबंधकीय कार्य करने में लगे हुए हैं, एवं अन्य संबद्ध संस्थानों यथा प्रशिक्षण संस्थान आदि पीएम स्टाफ का गठन करते हैं।

(ii) सेवा प्रदाय : इसमें वे कर्मचारी शामिल हैं जो स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में सीधे तौर पर शामिल हैं एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ हैं। उदाहरण के लिएः चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सक, स्टाफ नर्स, एएनएम/ बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एमपीडब्ल्यू), प्रयोगशाला तकनीशियन, काउंसलर, आदि। सेवा प्रदाय कर्मचारियों में स्वास्थ्य केन्द्रों के बाहर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं जैसे मोबाइल मेडिकल यूनिट, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) आदि।

श्रेणीवार स्वीकृत पद, भरे पद एवं रिक्त पद *तालिका–2.10* में दर्शाए गए हैं:

तालिका – 2.10: मार्च 2022 की स्थिति मे राज्य में एनएचएम के अंतर्गत श्रेणीवार स्वीकृत पद, कार्यरत पद एवं रिक्त पद

एनएचएम कार्यक्रम प्रबंधन (अ)				
पद का नाम	**स्वीकृत पद**	**कार्यरत पद**	**रिक्त पद**	**रिक्ति का प्रतिशत**
कार्यक्रम प्रबंधक (पी एम)	2,646	2,359	287	11
सेवा प्रदाय (ब)				
विशेषज्ञ चिकित्सक	235	112	123	**52**
चिकित्सा अधिकारी	460	349	111	24
नर्सिंग स्टाफ	2,900	1,969	931	32
पैरामेडिकल स्टाफ	4,045	3,490	555	14
अन्य कर्मचारी	6,897	4,974	1,923	28
कुल (ब)	**14,537**	**10,894**	**3,643**	**25**
कुल (अ +ब)	**17,183**	**13,253**	**3,930**	**23**

(स्रोतः एनएचएम द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

कलर कोड :

अधिकता/कोई कमी नही	कमी सीमा		
	1–25 प्रतिशत	25–50 प्रतिशत	**50 –100 प्रतिशत**

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों के 235 स्वीकृत पदों में से केवल 112 (48 प्रतिशत) ही नियुक्त किए गए थे। चिकित्सा अधिकारियों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ एवं सेवा प्रदाय से संबंधित अन्य कर्मचारियों के पदों में रिक्तियां क्रमशः 24 प्रतिशत, 32 प्रतिशत, 14 प्रतिशत एवं 28 प्रतिशत थी। कार्यक्रम प्रबंधक संवर्ग में भी 11 प्रतिशत की रिक्तियां थीं। कुल मिलाकर, राज्य में एनएचएम के अंतर्गत कार्यक्रम प्रबंधक एवं सेवा प्रदाय श्रेणियों में 23 प्रतिशत पद रिक्त थे।

2.8 मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) की उपलब्धता

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख घटकों में से एक, देश के प्रत्येक गांव को एक प्रशिक्षित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) उपलब्ध कराना है।

भारत सरकार द्वारा आशा पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, प्रति हजार जनसंख्या पर एक आशा की आवश्यकता है। वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ की अनुमानित जनसंख्या (2,98,36,000) के अनुसार, राज्य में 29,836 आशा कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, जिसके विरुद्ध राज्य में 71,344 (वास्तविक आवश्यकता से 139 प्रतिशत अधिक) आशा कार्यकर्ता उपलब्ध हैं, जो कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित स्वीकृत संख्या 72,048 से कम है । राज्य में एक आशा कार्यकर्ता 418 लोगों को सेवाएं दे रही है। मार्च 2022 की स्थिति मे स्वीकृत संख्या के विरुद्ध आशा कार्यकर्ताओं की उपलब्धता में जिलेवार कमी (संख्या में) *चार्ट–2.9* में दर्शाई गई है।

चार्ट – 2.9: मार्च 2022 की स्थिति मे स्वीकृत पद के विरूद्ध आशा कार्यकर्ताओं की जिलेवार रिक्तियां

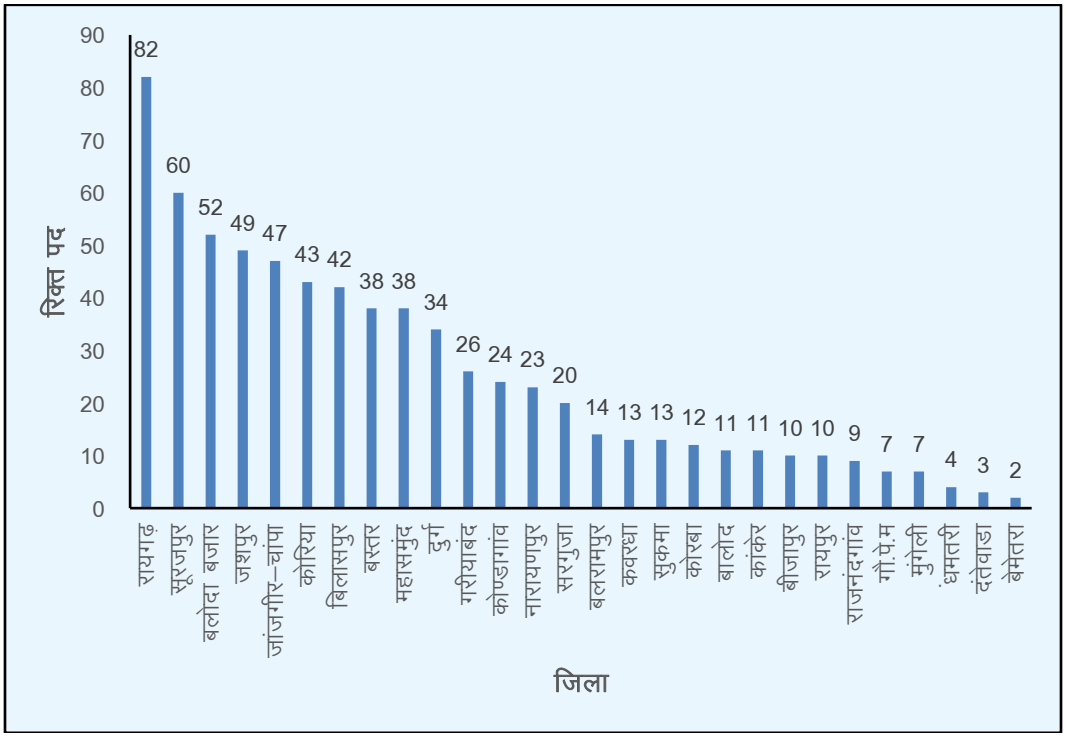

(स्रोत : राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र द्वारा दी गई जानकारी)

उपरोक्त चार्ट से यह स्पष्ट था कि आशा कार्यकर्ताओं की कमी सबसे अधिक (82) रायगढ़ जिले में एवं सबसे कम (2) बेमेतरा जिले में थी।

यद्यपि, आशा कार्यकर्ताओं की संख्या भारत सरकार के मानकों से अधिक थी, लेकिन एनएफएचएस 5 (2020–21) के अनुसार, छत्तीसगढ़ में कम से कम चार बार प्रसवपूर्व देखभाल करने वाली माताओं का प्रतिशत केवल 60.1 प्रतिशत था। 180 दिनों या उससे अधिक समय तक आयरन फोलिक एसिड का सेवन करने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या केवल 26.3 प्रतिशत थी।

2.9 चिकित्सा शिक्षा संचालनालय (डीएमई) के अंतर्गत मानव संसाधन

भारतीय चिकित्सा परिषद् (अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग) द्वारा मेडिकल कॉलेजों एवं संबद्ध चिकित्सालयों में पदों एवं अन्य आवश्यकताएं जैसे बुनियादी ढांचे, उपकरण आदि की न्यूनतम आवश्यकताएं निर्धारित किया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीएमई द्वारा स्वीकृत पदों, भरे एवं रिक्त पदों का स्वास्थ्य संस्थानवार आंकड़ा संधारित नहीं किया था। इन आंकड़ों के अभाव में डीएमई अपने स्वास्थ्य संस्थान में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ एवं नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता का पता नहीं लगा सका।

मार्च 2022 की स्थिति मे डीएमई के अंतर्गत जीएमसी/जीएमसीएच में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ एवं स्टाफ नर्स की स्थिति *तालिका–2.11* में दर्शाई गई है:

तालिका– 2.11: मार्च 2022 की स्थिति मे जीएमसी/जीएमसीएच एवं डीकेएस पीजीआई रायपुर में श्रेणीवार स्वीकृत पद, भरे पद एवं रिक्तियां

जीएमसी/जीएमसीएच	संवर्ग/पद	स्वीकृत पद	पद पर कार्यरत व्यक्ति			रिक्ति		रिक्तियां (प्रतिशत)	
			नियमित	संविदा	योग	नियमित के विरुद्ध	कुल के विरुद्ध	नियमित के विरुद्ध	कुल के विरुद्ध
डीकेएस पीजीआई रायपुर	सुपर स्पेशलिस्ट	38	2	30	32	36	6	94.74	15.79
	चिकित्सा अधिकारी	46	0	23	23	46	23	100.00	50.00
	स्टाफ नर्स	150	5	137	142	145	8	96.67	5.33
	पैरामेडिकल स्टाफ	46	2	18	20	44	26	95.65	56.52
उप योग		**280**	**9**	**208**	**217**	**271**	**63**	**96.79**	**22.50**
अंबिकापुर	सुपर स्पेशलिस्ट	109	36	39	75	73	34	66.97	31.19
	चिकित्सा अधिकारी	71	13	61	74	58	–3	81.69	.4.23
	स्टाफ नर्स	176	149	0	149	27	27	15.34	15.34
	पैरामेडिकल स्टाफ	42	1	18	19	41	23	97.62	54.76
उप योग		**398**	**199**	**118**	**317**	**199**	**81**	**50.00**	**20.35**
बिलासपुर	सुपर स्पेशलिस्ट	263	60	56	116	203	147	77.19	55.89
	चिकित्सा अधिकारी	124	16	85	101	108	23	87.10	18.55
	स्टाफ नर्स	345	128	0	128	217	217	62.90	62.90
	पैरामेडिकल स्टाफ	377	260	28	288	117	89	31.03	23.61
उप योग		**1,109**	**464**	**169**	**633**	**645**	**476**	**58.16**	**42.92**
जगदलपुर	सुपर स्पेशलिस्ट	168	25	46	71	143	97	85.12	57.74
	चिकित्सा अधिकारी	140	11	85	96	129	44	92.14	31.43
	स्टाफ नर्स	297	120	0	120	177	177	59.60	59.60
	पैरामेडिकल स्टाफ	99	38	15	53	61	46	61.62	46.46

जीएमसी/जी एमसीएच	संवर्ग/पद	स्वीकृत पद	पद पर कार्यरत व्यक्ति			रिक्ति		रिक्तियां (प्रतिशत)	
			नियमित	संविदा	योग	नियमित के विरुद्ध	कुल के विरुद्ध	नियमित के विरुद्ध	कुल के विरुद्ध
उप योग		**704**	**194**	**146**	**340**	**510**	**364**	**72.44**	**51.70**
रायपुर	सुपर स्पेशलिस्ट	270	123	65	188	147	82	**54.44**	30.37
	चिकित्सा अधिकारी	199	39	95	134	160	65	**80.40**	32.66
	स्टाफ नर्स	708	227	28	255	481	453	**67.94**	**63.98**
	पैरामेडिकल स्टाफ	262	109	31	140	153	122	**58.40**	46.56
उप योग		**1,439**	**498**	**219**	**717**	**941**	**722**	**65.39**	**50.17**
राजनांदगांव	सुपर स्पेशलिस्ट	149	29	43	72	120	77	**80.54**	**51.68**
	चिकित्सा अधिकारी	97	12	67	79	85	18	**87.63**	18.56
	स्टाफ नर्स	176	80	0	80	96	96	**54.55**	**54.55**
	पैरामेडिकल स्टाफ	60	15	14	29	45	31	**75.00**	**51.67**
उप योग		**482**	**136**	**124**	**260**	**346**	**222**	**71.78**	**46.06**
कांकेर	सुपर स्पेशलिस्ट	149	18	15	33	131	116	**87.92**	**77.85**
	चिकित्सा अधिकारी	73	32	0	32	41	41	**56.16**	**56.16**
	स्टाफ नर्स	177	6	0	6	171	171	**96.61**	**96.61**
	पैरामेडिकल स्टाफ	54	0	0	0	54	54	**100.00**	**100.00**
उप योग		**453**	**56**	**15**	**71**	**397**	**382**	**87.64**	**84.33**
कोरबा	सुपर स्पेशलिस्ट	150	30	8	38	120	112	**8000**	**74.67**
	चिकित्सा अधिकारी	82	1	2	3	81	79	**98.78**	**96.34**
	स्टाफ नर्स	176	0	0	0	176	176	**85.85**	**85.85**
	पैरामेडिकल स्टाफ	223	3	0	3	220	220	**98.76**	**98.76**
उप योग		**631**	**34**	**10**	**44**	**597**	**587**	**94.61**	**93.03**
महासमुंद	सुपर स्पेशलिस्ट	147	43	24	67	104	80	**70.75**	**54.42**
	चिकित्सा अधिकारी	69	43	7	50	26	19	37.68	27.54
	स्टाफ नर्स	176	0	0	0	176	176	**100.00**	**100.00**
	पैरामेडिकल स्टाफ	57	0	0	0	57	57	**100.00**	**100.00**

जीएमसी/जीएमसीएच	संवर्ग/पद	स्वीकृत पद	पद पर कार्यरत व्यक्ति			रिक्ति		रिक्तियां (प्रतिशत)	
			नियमित	संविदा	योग	नियमित के विरुद्ध	कुल के विरुद्ध	नियमित के विरुद्ध	कुल के विरुद्ध
उप योग		**449**	**86**	**३१**	**117**	**363**	**332**	**80.85**	**73.94**
रायगढ़	सुपर स्पेशलिस्ट	131	21	43	64	110	67	**83.97**	**51.15**
	चिकित्सा अधिकारी	87	6	50	56	81	31	**93.10**	35.63
	स्टाफ नर्स	198	125	0	125	73	73	36.87	36.87
	पैरामेडिकल स्टाफ	154	61	26	87	93	67	**60.39**	43.51
उप योग		**570**	**213**	**119**	**332**	**357**	**238**	**62.63**	**41.75**
दुर्ग	सुपर स्पेशलिस्ट	164	0	1	01	164	163	**100.00**	**99.39**
	चिकित्सा अधिकारी	83	0	0	00	83	83	**100.00**	**100.00**
	स्टाफ नर्स	176	0	0	00	176	176	**100.00**	**100.00**
	पैरामेडिकल स्टाफ	54	0	0	0	54	54	**100.00**	**100.00**
उप योग		**477**	**0**	**1**	**01**	**477**	**476**	**100.00**	**99.79**
महा योग		**6,992**	**1,889**	**1,160**	**3,049**	**5103**	**3943**	**72.98**	**56.39**

(स्रोत : जीएमसी/जीएमसीएच एवं डीकेएसपीजीआई द्वारा दी गई जानकारी)

कलर कोड:

अधिकता/कोई कमी नहीं	कमी सीमा		
	1–25 प्रतिशत	25–50 प्रतिशत	50–100 प्रतिशत

तालिका–2.11 से यह देखा जा सकता है सुपर स्पेश्यालिटी चिकित्सालय रायपुर में चिकित्सकों (84), स्टाफ नर्स (150), पैरामेडिकल स्टाफ (46) के कुल 280 स्वीकृत पदों के विरुद्ध केवल कुल नौ (3.21 प्रतिशत) पद, चिकित्सकों (2), स्टाफ नर्स (5) एवं पैरामेडिकल स्टाफ (2) नियमित आधार पर भरे गए थे एवं संविदा कर्मचारियों सहित रिक्ति का प्रतिशत 22.50 था।

इसके अलावा, डीकेएसपीजीआई सहित सभी जीएमसी/जीएमसीएच में कुल स्वीकृत पद संख्या 6,992 के विरूद्ध नियमित कर्मचारियों की रिक्तियां 72.98 प्रतिशत थी तथा संविदा कर्मचारियों को शामिल करके कुल रिक्तियां 56.39 प्रतिशत थी। सबसे अधिक रिक्तियां जीएमसी/जीएमसीएच दुर्ग (99.79 प्रतिशत) में देखी गईं, जबकि अन्य जीएमसी/जीएमसीएच में रिक्तियां 20.35 प्रतिशत (अंबिकापुर) से लेकर 93.03 प्रतिशत (कोरबा) तक थी।

राज्य के सभी जीएमसी/जीएमसीएच में विशेषज्ञ चिकित्सकों, स्टाफ नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ के स्वीकृत पद के विरुद्ध, विशेषज्ञ चिकित्सकों के पदों में 54.44 प्रतिशत (रायपुर) से 100 प्रतिशत (दुर्ग), स्टाफ नर्स के पदों में 15.34 (अंबिकापुर) से 100 प्रतिशत (दुर्ग एवं महासमुंद) एवं पैरामेडिकल स्टाफ के पदों में 31.03 (बिलासपुर) से 100 प्रतिशत (कांकेर, दुर्ग एवं महासमुंद) नियमित पदों के विरुद्ध रिक्तियां थी।

चयनित जीएमसी/जीएमसीएच में पद वार मानव संसाधन की स्थिति *चार्ट – 2.10 (अ), (ब), (स) एवं (द)* में दी गई है:

चार्ट – 2.10 (अ) जीएमसी/जीएमसीएच में विशेषज्ञ संवर्ग एवं रिक्तियां

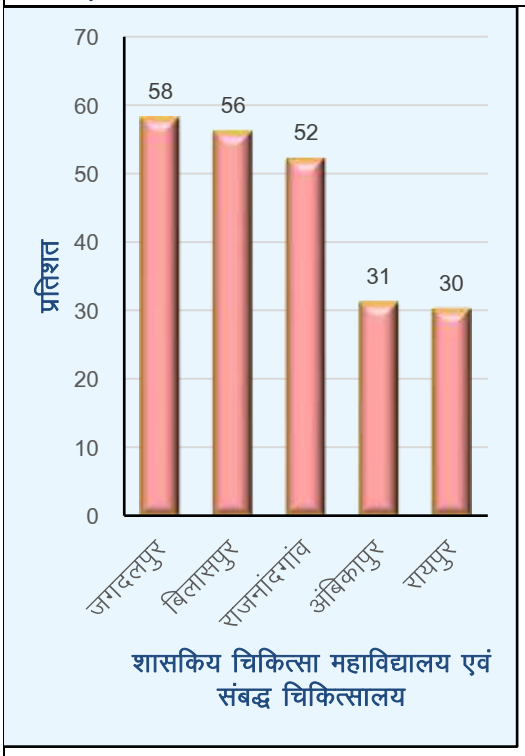

चार्ट – 2.10 (ब) जीएमसी/जीएमसीएच में चिकित्सा अधिकारी संवर्ग एवं रिक्ति की स्थिति

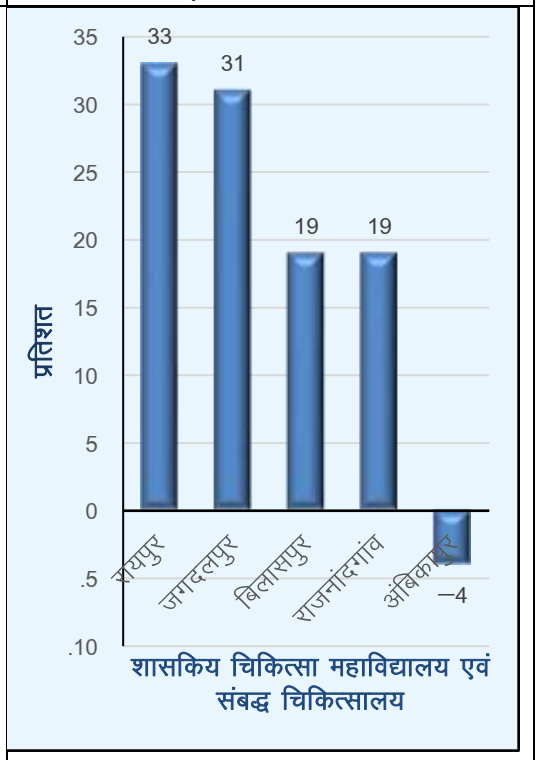

चार्ट – 2.10 (स) जीएमसी/जीएमसीएच में स्टाफ नर्स संवर्ग

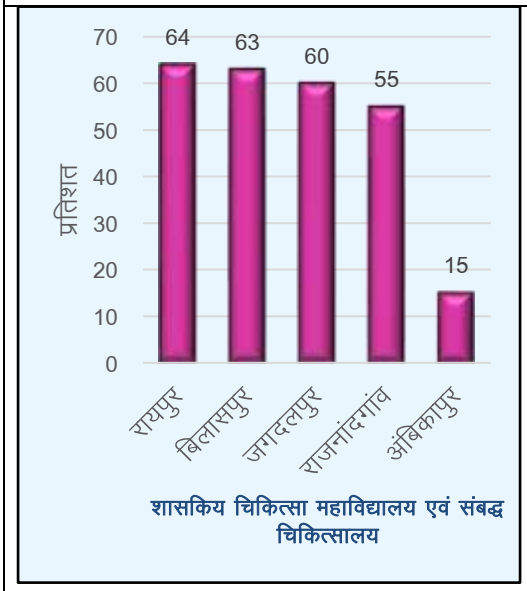

चार्ट – 2.10 (द) जीएमसी/जीएमसीएच में पैरामेडिकल स्टाफ संवर्ग की रिक्तियां

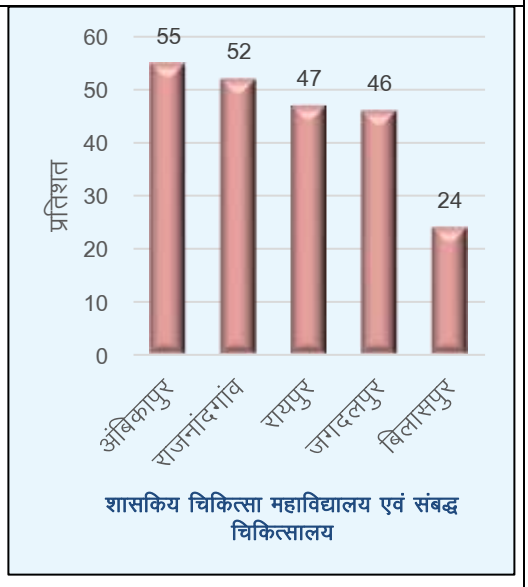

(स्रोत : नमूना–जाँच किए गए जीएमसी /जीएमसीएच द्वारा दी गई जानकारी)

यह भी पाया गया कि 31 मार्च 2022 की स्थिति मे, सभी पाँच नमूना जाँच किए गए जीएमसी/जीएमसीएच में विशेषज्ञ संवर्ग में रिक्तियां 58 से 30 प्रतिशत के बीच थी। स्टाफ नर्स संवर्ग में रिक्तियां चिंताजनक थीं एवं जीएमसीएच अंबिकापुर को छोड़कर सभी नमूना जाँच किए गए जीएमसीएच में 50 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त थे। इसी तरह, चयनित जीएमसीएच में पैरामेडिकल स्टाफ के 24 से 55 प्रतिशत पद रिक्त थे।

2.9.1 जीएमसीएच में विशेषज्ञता के अनुसार चिकित्सकों की उपलब्धता

चयनित पाँच जीएमसीएच में विशेषज्ञता के अनुसार चिकित्सकों की स्वीकृत पदसंख्या एवं भरे पद की स्थिति *चार्ट: 2.11* में दर्शाई गई है:

चार्ट–2.11: नमूना जाँच किए गए पाँच जीएमसी/जीएमसीएच में विशेषज्ञता के अनुसार भरे पद एवं रिक्ति

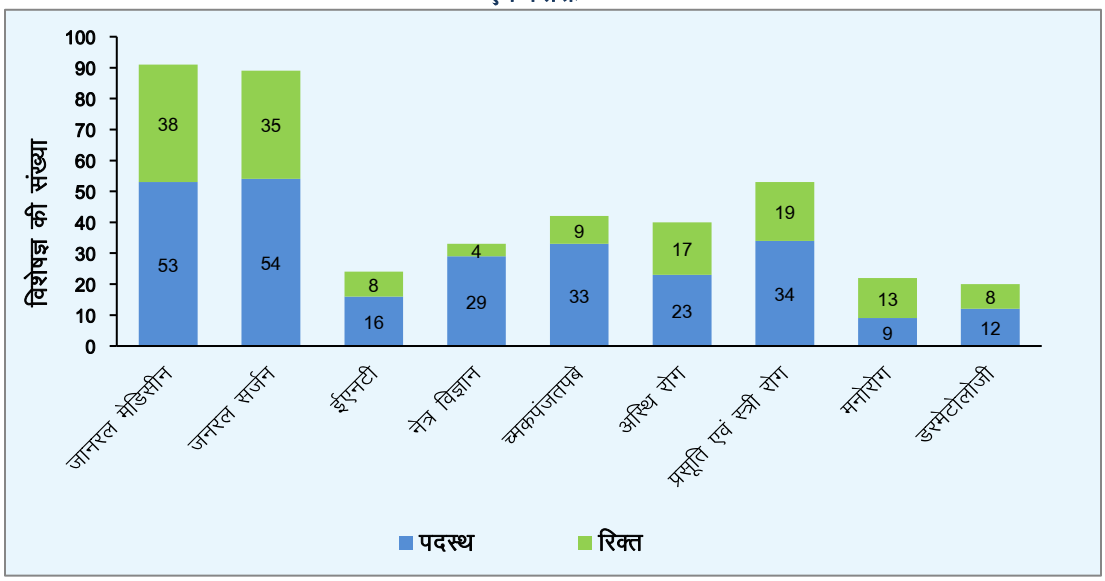

(स्रोत : जीएमसी /जीएमसीएच द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्वीकृत पद संख्या जनरल मेडिसीन (91) एवं जनरल सर्जरी (89) विभाग में सबसे अधिक थी। मनोरोग विभाग में रिक्तियों का प्रतिशत सबसे अधिक (59.10 प्रतिशत) था, जबकि नेत्र रोग विभाग में यह सबसे कम (12.12 प्रतिशत) था।

लेखापरीक्षा मे पाया गया कि डीएमई के अंतर्गत चयनित जीएमसी/जीएमसीएच में तकनीकी पदों पर मानव संसाधन की कमी थी एवं बिना पदों की स्वीकृति के सेवाएं प्रदान की जा रही थी, जिसकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है:

- जीएमसीएच जगदलपुर में डायलिसिस तकनीशियन एवं सीटी स्कैन तकनीशियन का पद स्वीकृत नहीं किया गया था, जबकि चार डायलिसिस मशीनें एवं एक सीटी स्कैन मशीन स्थापित की गई थी, जिसका संचालन जिला खनिज निधि ट्रस्ट (डीएमएफटी) के अंतर्गत जिला कलेक्टर, जगदलपुर द्वारा नियुक्त अस्थायी कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा था। चिकित्सालय में छह एम्बुलेंस दैनिक वेतन पर ड्राइवरों को रखकर संचालित की जा रही थीं। संयुक्त संचालक सह अधीक्षक द्वारा (22 अगस्त 2016 एवं 22 जून 2019) डीएमई से डायलिसिस तकनीशियन, सीटी स्कैन तकनीशियन तथा एम्बुलेंस तकनीशियन एवं ड्राइवर के छह–छह पदों की स्वीकृति के लिए अनुरोध

किया था। यद्यपि, इसे स्वीकृत नहीं किया गया था (दिसंबर 2022)।

- जीएमसीएच राजनांदगांव में वर्ष 2016 से कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के चार पद रिक्त थे, तथा ये सेवाएं अन्य चिकित्सकों द्वारा प्रदान की जा रही थीं।

शासन द्वारा बताया गया (अप्रैल 2023) कि संविदा आधार पर पदों की पूर्ति हेतु समय–समय पर वॉक–इन–इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे हैं तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित पदस्थापना हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

तथ्य यह है कि पर्याप्त रिक्तियों के बावजूद, विभाग नियमित कर्मचारियों को नियुक्त करने में विफल रहा एवं संविदा आधार पर सेवाएं प्रदान कर रहा था।

2.9.2 स्टाफ नर्स संवर्ग में स्वीकृत पद एमसीआई मानकों के अनुरूप नहीं थे

नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के मानकों के अनुसार (जीएमसीएच हेतु एमसीआई मानकों में यथा अंगीकृत), जीएमसीएच में स्टाफ नर्स (एसएन) एवं बेड का अनुपात आईसीयू में 1:1 एवं गैर–आईसीयू वार्डों में 1:3 होना चाहिए ।

लेखापरीक्षा मे पाया गया कि डीएमई स्तर या जीएमसीएच स्तर पर एमसीआई मानकों के अनुसार बेड से स्टाफ नर्स अनुपात का आकलन नहीं किया गया था। किसी भी स्तर पर आकलन के अभाव में, डीएमई के साथ–साथ जीएमसीएच भी जीएमसीएच में स्टाफ नर्स की स्वीकृत संख्या को संशोधित नहीं कर सके । परिणामस्वरूप, बिस्तर क्षमता के अनुसार स्टाफ नर्स की स्वीकृत संख्या निश्चित करने में विफलता के कारण यह एमसीआई मानकों से कम थी। जिसके कारण सभी स्वीकृत पदों को भर दिए जाने के पश्चात् भी स्टाफ नर्स की कमी रहेगी।

चयनित जीएमसी/जीएमसीएच में बिस्तर क्षमता, स्टाफ नर्स की स्वीकृत पद *तालिका – 2.12* एवं *चार्ट – 2.12* में दर्शाई गई है।

तालिका – 2.12: मार्च 2022 की स्थिति मे बिस्तर क्षमता एवं स्टाफ नर्स की स्वीकृत संख्या

जीएमसीएच	बिस्तर क्षमता	स्टाफ नर्स स्वीकृत संख्या	स्टाफ नर्स से बेड अनुपात
अंबिकापुर	835	176	1:14
बिलासपुर	710	345	1:6
जगदलपुर	650	297	1:7
रायपुर	1,440	708	1:6
राजनांदगांव	607	176	1:10
डीकेएस पीजीआई	501	150	1:10

(स्रोत : जीएमसीएच द्वारा दी गई जानकारी)

चार्ट – 2.12 : प्रति स्टाफ नर्स बिस्तरों की संख्या दर्शाने वाला चार्ट

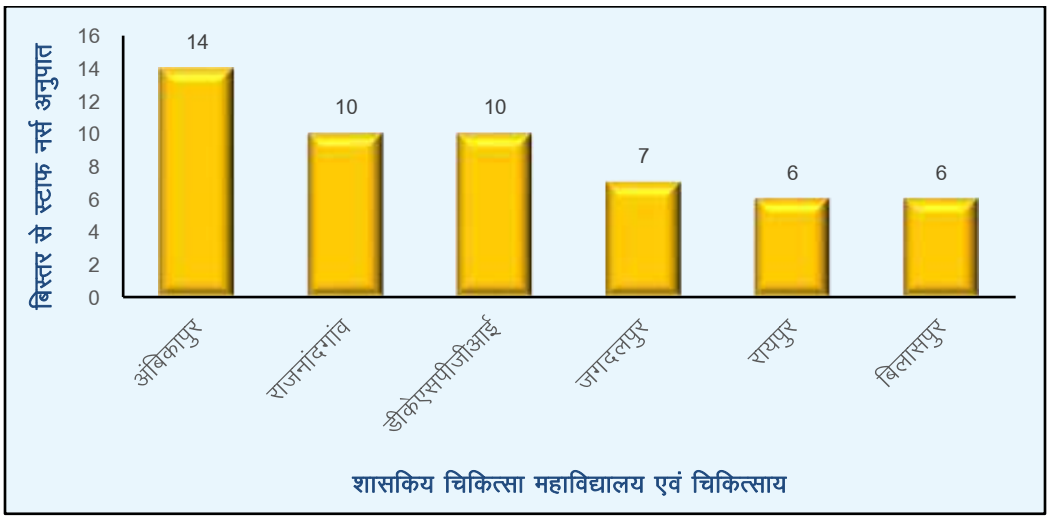

(स्रोत : जीएमसीएच द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित)

इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि स्टाफ नर्स के स्वीकृत पद एवं बिस्तरों का अनुपात 1:6 एवं 1:14 के मध्य था एवं जीएमसीएच में बेड स्टाफ नर्स अनुपात में कोई एकरूपता नहीं थी।

2.9.2.1 स्टाफ नर्स से बेड अनुपात

लेखापरीक्षा मे पाया गया कि चयनित जीएमसीएच में स्टाफ नर्स की भारी कमी थी तथा आईसीयू में स्टाफ नर्स से बेड का अनुपात 1:1 के मानकों के विरूद्ध 1:3 एवं 1:20 के मध्य था। इसी प्रकार, गैर–आईसीयू वार्डों में, यह अनुपात 1:3 के मानकों के विरूद्ध 1:12 एवं 1:39 के मध्य था। यह आईसीयू एवं अन्य वार्डों में देखभाल के अपेक्षित स्तर में महत्वपूर्ण कमी को दर्शाता है, जैसा कि *चार्ट – 2.13* में उल्लेखित है:

चार्ट – 2.13 : आईसीयू /गैर–आईसीयू वार्डों में स्टाफ नर्स से बेड अनुपात का विवरण

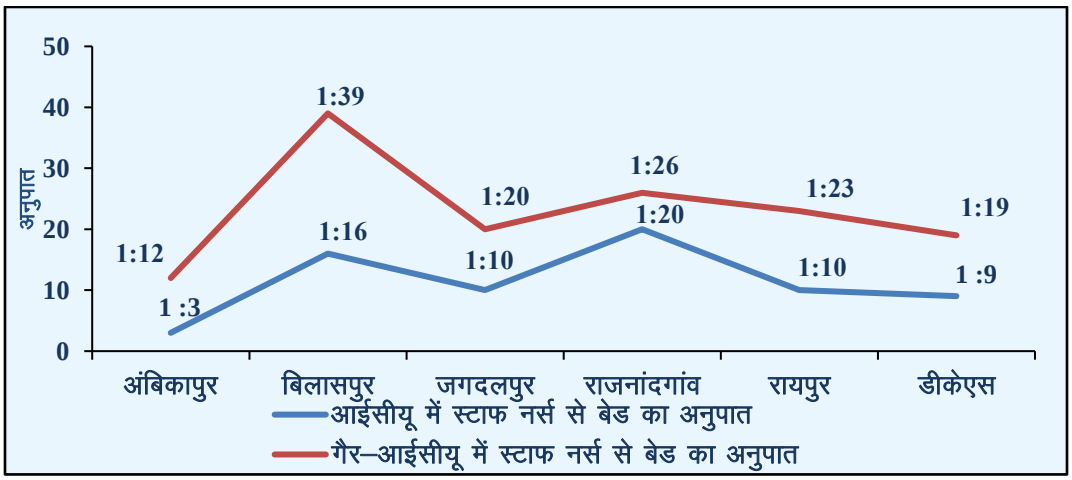

(स्रोत : जीएमसीएच द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित)

शासन द्वारा बताया गया (अप्रैल 2023) कि जीएमसी/जीएमसीएच से प्रस्ताव प्राप्त करने के पश्चात् इसे शासन को भेजा जाएगा।

2.9.2.2 राज्य में प्रवेश क्षमता

राज्य में 2016–22 के दौरान जीएमसी की उपलब्धता एवं उनकी प्रवेश क्षमता *तालिका–2.13* में दर्शाई गई है:

तालिका – 2.13: 2016–22 के दौरान राज्य में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की वर्षवार प्रवेश क्षमता

ए – शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय (प्रवेश क्षमता)					
क्र.	चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	2016–17		2021–22	
		स्नातकीय	पीजी	स्नातकीय	पीजी
1	जीएमसी, रायपुर	150	92	180	142
2	जीएमसी, बिलासपुर	150	3	180	36
3	जीएमसी, जगदलपुर	100	0	125	10
4	जीएमसी, राजनांदगांव	100	0	125	11
5	जीएमसी, रायगढ़	50	0	60	6
6	जीएमसी, अंबिकापुर	100	0	125	0
7	जीएमसी, कांकेर	0	0	125	0
8	जीएमसी, दुर्ग	0	0	एनएमसी द्वारा मान्यता न मिलने के कारण 2021–22 के दौरान प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी	
9	जीएमसी, कोरबा	0	0		
10	जीएमसी, महासमुंद	0	0		
	जीएमसी में सीटों की कुल संख्या	**650**	**95**	**920**	**205**
बी– निजी चिकित्सा महाविद्यालय					
क्र	**चिकित्सा महाविद्यालय का नाम**	**2016–17**		**2021–22**	
		स्नातकीय	**पीजी**	**स्नातकीय**	**पीजी**
1	चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, दुर्ग	150	0	2021–22 में जीओसीजी द्वारा अधिग्रहित	
2	श्री शंकराचार्य आयुर्विज्ञान संस्थान, भिलाई	150	0	150	57
3	रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रायपुर	150	0	150	47
4	बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रायपुर	0	0	150	0
	निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटों की कुल संख्या	**450**	**0**	**450**	**104**
	कुल योग (ए+बी)	**1,100**	**95**	**1,370**	**309**
डीकेएस पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट एवं रिसर्च सेंटर (सुपर स्पेश्यालिटी कोर्स)					
क्र	**कोर्स का नाम**	**2016–17**		**2021–22**	
1	**एम.सी,एच**	**लागू नही**		**06**[17]	

(स्रोत : डीएमई द्वारा दी गई जानकारी)

[17] एम.सीएच. न्यूरो सर्जरी में दो सीटें, एम.सीएच. पीडियाट्रिक सर्जरी में तीन सीटें एवं एम.सीएच. प्लास्टिक एवं पुनर्निर्माण सर्जरी में एक सीट

तालिका 2.13 से देखा जा सकता है कि 2016–22 के मध्य चार नए जीएमसी एवं एक निजी कॉलेज[18] खोले गए एवं इसी अवधि के दौरान प्रवेश क्षमता (यूजी) 1,100 से बढ़कर 1,370 हो गई। यद्यपि राज्य मे 2016–22 के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी, परंतु प्रतिकूल चिकित्सक जनसंख्या अनुपात को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं था। लेखापरीक्षा मे यह भी पाया गया कि आवश्यक चिकित्सक जनसंख्या अनुपात को प्राप्त करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोई व्यापक योजना तैयार नहीं की गई थी । यह भी देखा गया कि:

- मार्च 2022 की स्थिति मे, राज्य के 10 जीएमसी में से कोई भी जीएमसी 250 की अधिकतम स्वीकार्य प्रवेश क्षमता प्राप्त नहीं कर सका । इसके अलावा, शासन द्वारा 2016–22 के दौरान प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई एवं न ही भारत सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा गया। जीएमसी, रायपुर यद्यपि 1963 में स्थापित हुआ था, परंतु वार्षिक प्रवेश क्षमता 180 (ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 30 अतिरिक्त सीटें शामिल हैं) तक ही बढ़ा सका । इसी तरह, वर्ष 2001 में स्थापित जीएमसी बिलासपुर की वार्षिक प्रवेश क्षमता 180 छात्रों की है । ईडब्ल्यूएस के लिए अतिरिक्त सीटों के सृजन के कारण 135 सीटों की वृद्धि को छोड़कर, नमूना जाँच किए गए पाँच जीएमसी की प्रवेश क्षमता 2016–22 के दौरान अपरिवर्तित रही।
- 2016–22 के दौरान पाँच[19] जीएमसी में स्नातकोत्तर सीटें 95 (2016–17) से बढ़कर 205 (2021–22) हो गईं।
- डीकेएसपीजीआई, रायपुर मे तीन सुपर–स्पेश्यालिटी कोर्स के लिए छह की प्रवेश क्षमता थी (2019), जबकि अन्य जीएमसी मे किसी भी विषय में सुपर–स्पेश्यालिटी कोर्स उपलब्ध नहीं थे। इससे पता चलता है कि राज्य के चिकित्सा शिक्षा आकांक्षीयों के पास जीएमसी में सुपर–स्पेश्यालिटी पाठ्यक्रमों के लिए सीमित अवसर थे।

शासन द्वारा बताया गया (अप्रैल 2023) कि नए कॉलेज खोलने के लिए कोई अलग नीति तैयार नहीं की गई है। यद्यपि, नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। सुपर स्पेश्यालिटी कोर्स के बारे में कहा गया कि न्यूरो एनेस्थीसिया एवं न्यूरोलॉजी के कोर्स के लिए आवेदन आने वाले वर्षों में डीकेएसपीजीआई द्वारा प्रस्तुत किए जाएँगे।

2.10 खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अंतर्गत मानव संसाधन

31 मार्च 2022 की स्थिति मे राज्य में खाद्य एवं औषधि नियंत्रक प्रशासन (एफडीसीए) के 27 जिला कार्यालय थे। दवाओं के नमूनों का पूर्ण एवं समय पर विश्लेषण करने के एफडीसीए के कर्तव्य को निभाने के लिए पर्याप्त तकनीकी एवं गैर–तकनीकी कर्मचारियों की उपलब्धता आवश्यक है। औषधि निर्माण इकाइयों, ब्लड बैंकों एवं दवा दुकानों को लाइसेंस जारी करने के लिए नियंत्रक एफडीसीए उत्तरदायी हैं जिन्हे संयुक्त औषधि नियंत्रक, उप औषधि नियंत्रक, सहायक औषधि नियंत्रक तथा जिला स्तर पर औषधि निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं नमूना सहायक सहायता प्रदान करते हैं।

---

[18] एक निजी कॉलेज चन्दूलाल चन्द्राकर मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण राज्य शासन द्वारा वर्ष 2021–22 में किया गया एवं एक नये निजी मेडिकल कॉलेज (बालाजी मेडिकल कॉलेज) वर्ष 2021–22 में प्रारंभ किया गया

[19] जीएमसी रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर एवं रायगढ़

मार्च 2022 की स्थिति मे 697 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 438 (63 प्रतिशत) पद रिक्त थे। एफडीसीए के कार्यों के निर्वहन के लिए औषधि निरीक्षकों (डीआई) एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (एफएसओ) की आवश्यकता थी। जबकि, 112 औषधि निरीक्षकों के स्वीकृत पदों के विरूद्ध मात्र 78 (70 प्रतिशत) औषधि निरीक्षक उपलब्ध थे । इसी प्रकार, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के 112 स्वीकृत पदों के विरूद्ध मात्र 59 (53 प्रतिशत) खाद्य सुरक्षा अधिकारी ही पदस्थ थे। राज्य में रायपुर में एक राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला एवं एक राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला है, जिसमें नाममात्र कर्मचारी थे।

नवंबर 2022 की स्थिति मे प्रयोगशाला में कार्यरत तकनीकी कार्मिकों की स्वीकृत संख्या के विरूद्ध कार्यरत का विवरण *तालिका–2.14* में दर्शाया गया है।

तालिका – 2.14: प्रयोगशालाओं में पदवार स्वीकृत तथा कार्यरत कर्मचारी

पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति का प्रतिशत
राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला				
समन्वयक	01	0	01	100
पब्लिक एनालिस्ट	02	0	02	100
तकनीकी अधिकारी	03	0	03	100
सूक्ष्म जीवविज्ञानी	03	0	03	100
वैज्ञानिक अधिकारी	02	0	02	100
सहायक पब्लिक एनालिस्ट	03	01	02	67
प्रयोगशाला तकनीशियन	05	02	03	60
प्रयोगशाला सहायक	05	01	04	80
लैब अटेंडेंट	04	0	04	100
कार्यालय सहायक	04	0	04	100
योग	**32**	**4**	**28**	**88**
राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला				
संचालक	01	0	01	100
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	02	0	02	100
सूक्ष्म जीवविज्ञानी	02	0	02	100
वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	03	01	02	67
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	15	0	15	100
सहायक लेखा अधिकारी	01	0	01	100
प्रयोगशाला सहायक	05	0	05	100
लैब अटेंडेंट	02	0	02	100
योग	**31**	**01**	**30**	**97**

(स्रोत : राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

कलर कोड:

अधिकता/कोई कमी नहीं	कमी सीमा		
	1–25 प्रतिशत	25–50 प्रतिशत	**50–100 प्रतिशत**

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि एफडीसीए में कर्मचारियों की अत्यधिक कमी थी। खाद्य प्रयोगशाला में तकनीकी कर्मचारियों की कुल कमी 88 प्रतिशत थी एवं औषधि प्रयोगशाला में कमी 97 प्रतिशत थी।

2.11 आयुष में मानव संसाधन की उपलब्धता एवं प्रबंधन

2.11.1 प्रमुख चिकित्सा एवं गैर–चिकित्सकीय स्टाफ की अनुपलब्धता

किसी भी संगठन के समुचित संचालन के लिए पर्याप्त मानव शक्ति की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में चिकित्सकों, फार्मासिस्टों, नर्सों एवं अन्य सहायक कर्मचारियों से युक्त आयुष के सेट अप को स्वीकृति दी गई थी ।

5189 स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत पद 3648 थे एवं 1541 पद रिक्त थे। इसके अलावा, राज्य में मार्च 2022 की स्थिति में चिकित्सकों के 1239 स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत पद मात्र 874 (71 प्रतिशत) था एवं सहायक कर्मचारियों के 2293 स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत पद केवल 1582 (69 प्रतिशत) था । पूरे राज्य में प्रमुख पदों की रिक्तियों की स्थिति ***तालिका – 2.15*** में दर्शाई गई है:

तालिका – 2.15: मार्च 2022 की स्थिति मे स्वीकृत एवं भरे पदों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद (स्थायी)	भरे पद (संविदा)	योग भरे पद	रिक्ति (प्रतिशत)
1	आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी	1034	359	379	738	296 (28.62)
2	होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी	124	72	16	88	36 (29.03)
3	यूनानी चिकित्सा अधिकारी	38	15	0	15	23 (60.52)
4	विशेषज्ञ चिकित्सक	37	29	0	29	8 (21.62)
5	आयुर्वेद विशेषज्ञ	6	4	0	4	2 (33.33)
योग		**1239**	**479**	**395**	**874**	**365 (29.46)**
1	स्टाफ नर्स	85	34	0	34	51 (60.00)
2	फार्मासिस्ट– आयुर्वेद	1068	730	5	735	333 (31.17)
3	फार्मासिस्ट– होम्योपैथी	124	21	3	24	100 (80.64)
4	फार्मासिस्ट– यूनानी	38	0	1	1	37 (97.37)
5	पंचकर्म सहायक (पुरुष)	74	64	0	64	10 (13.51)
6	पंचकर्म सहायक (महिला)	74	48	0	48	26 (35.13)

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद (स्थायी)	भरे पद (संविदा)	योग भरे पद	रिक्ति (प्रतिशत)
7	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (दाई)	77	51	2	53	24 (31.16)
8	औषधालय सेवक	753	599	24	623	130 (17.26)
योग		**2293**	**1547**	**35**	**1582**	**711 (31.01)**

(स्रोत : आयुष संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2022 की स्थिति मे आयुष स्वास्थ्य संस्थानों में मानव संसाधनों की कमी थी, जो विशेषज्ञ चिकित्सक के पद पर 22 से 33 प्रतिशत, चिकित्सा अधिकारी के पद पर 29 से 61 प्रतिशत , स्टाफ नर्स के पद पर 60 प्रतिशत, पंचकर्म सहायक के पद पर 14 से 35 प्रतिशत तथा फार्मासिस्ट के पद पर 31 से 97 प्रतिशत थी।

बिलासपुर स्थित दो शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों में शैक्षणिक पदों मे रिक्तियों की स्थिति *तालिका–2.16* में दर्शाई गई है:

तालिका – 2.16: दो महाविद्यालयों में शैक्षणिक पदों की स्थिति

महाविद्यालय का नाम	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिक्तियां (प्रतिशत)
जीएसीएच बिलासपुर	प्राचार्य	1	1	0	0
	प्रोफेसर	7	3	4	57
	रीडर	13	11	2	15
	व्याख्याता	18	13	5	28
	प्रयोगशाला तकनीशियन	9	5	4	44
जीएसी रायपुर	प्राचार्य	1	1	0	0
	प्रोफेसर	14	11	3	21
	रीडर	23	17	6	26
	व्याख्याता	36	26	10	28
	प्रयोगशाला तकनीशियन	21	13	8	38
योग		**143**	**101**	**42**	**29**

(स्रोत : आयुष संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

जैसा कि *तालिका–2.16* में देखा जा सकता है , मार्च 2022 की स्थिति मे दो महाविद्यालयों में प्रोफेसर के पद पर 21 से 57 प्रतिशत, रीडर के पद पर 15 से 26 प्रतिशत, व्याख्याता के पद पर 28 प्रतिशत एवं लैब तकनीशियन के पद पर 38 से 44 प्रतिशत शिक्षण स्टाफ की कमी थी।

इसके अलावा, चयनित जिलों में विभिन्न पदों पर आवश्यक मानव संसाधन की कमी थी, जैसा कि *तालिका–2.17* में दर्शाया गया है।

तालिका – 2.17: चयनित जिलों में मानव संसाधन की उपलब्धता

पद का नाम		चिकित्सक	फार्मासिस्ट	स्टाफ नर्स	पंचकर्म सहायक	अन्य
डीएओ रायपुर	स्वीकृत पद	60	53	0	8	59
	भरे पद	59	38	0	8	39
	रिक्त (प्रतिशत)	1 (2)	15 (28)	0 (0)	0 (0)	20 (34)
डीएओ बिलासपुर	स्वीकृत पद	51	43	0	4	53
	भरे पद	44	38	0	4	53
	रिक्त (प्रतिशत)	7 (14)	5 (12)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
डीएओ दंतेवाड़ा	स्वीकृत पद	35	34	3	4	18
	भरे पद	25	14	0	2	15
	रिक्त (प्रतिशत)	10 (29)	20 (59)	3 (100)	2 (50)	3 (17)
डीएओ सरगुजा	स्वीकृत पद	52	50	2	4	18
	भरे पद	49	45	0	3	18
	रिक्त (प्रतिशत)	3 (6)	5 (10)	2 (100)	1 (25)	0 (0)
डीएओ कोरिया	स्वीकृत पद	52	51	3	8	19
	भरे पद	37	24	0	5	10
	रिक्त (प्रतिशत)	15 (29)	27 (53)	3 (100)	3 (38)	9 (47)
डीएओ बालोद	स्वीकृत पद	53	53	2	4	52
	भरे पद	25	45	0	3	27
	रिक्त (प्रतिशत)	28 (53)	8 (15)	2 (100)	1 (25)	25 (48)
डीएओ जगदलपुर	स्वीकृत पद	77	75	2	4	37
	भरे पद	67	39	0	3	24
	रिक्त (प्रतिशत)	10 (13)	36 (48)	2 (100)	1 (25)	13 (35)

(स्रोत : आंकड़े डीएओ द्वारा उपलब्ध कराया गया एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

कलर कोड:

अधिकता/कोई कमी नहीं	कमी सीमा		
	1–25 प्रतिशत	25–50 प्रतिशत	50–100 प्रतिशत

चयनित जिलों में 538 स्वास्थ्य संस्थानों में से 130 में नियमित चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं की गई थी। चयनित जिलों में चिकित्सकों की अनुपलब्धता *तालिका–2.18* में दर्शाई गई है:

तालिका – 2.18: डीएओ एवं उनके अंतर्गत संस्थानों की संख्या जहां नियमित चिकित्सक उपलब्ध नही थे

क्र. सं.	डीएओ का नाम	औषधालयों की कुल संख्या	नियमित चिकित्सक के बिना औषधालयों की संख्या
1.	डीएओ दंतेवाड़ा	58	8
2.	डीएओ रायपुर	53	5
3.	डीएओ सरगुजा	135	22

क्र. सं.	डीएओ का नाम	औषधालयों की कुल संख्या	नियमित चिकित्सक के बिना औषधालयों की संख्या
4.	डीएओ बिलासपुर	82	34
5.	डीएओ कोरिया	49	13
6.	डीएओ बस्तर	110	18
7.	डीएओ बालोद	51	30
योग		**538**	**130**

(स्रोत : आयुष संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

तालिका–2.18 में दर्शाए गए औषधालयों का प्रबंधन अन्य औषधालयों से वैकल्पिक दिनों में चिकित्सकों को अतिरिक्त प्रभार देकर किया जा रहा था। परिणामस्वरूप, औषधालय सप्ताह में कम से कम तीन दिन चिकित्सकों के बिना संचालित होते थे एवं औषधालय में पदस्थ अन्य कर्मचारियों द्वारा दवाइयाँ वितरित की जाती थीं। इसके अलावा, डीएओ कोरिया के अंतर्गत तीन[20] संस्थान एवं डीएओ, बस्तर के अंतर्गत आठ[21] संस्थान चिकित्सकों की अनुपलब्धता के कारण अपनी स्थापना के बाद से परिचालन मे नहीं थीं।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बताया गया (दिसंबर 2022) कि विभाग द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सक (4), यूनानी चिकित्सा अधिकारी (1), होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी (15) एवं फार्मासिस्ट आयुर्वेद (156) के नियुक्ति आदेश मार्च 2022 एवं जनवरी 2023 के मध्य जारी किए गए हैं। आगे बताया गया कि आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी (132) की भर्ती प्रक्रियाधीन है एवं तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया स्तर शासन पर लंबित है।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए आईपीएचएस मानकों के अनुसार कोई मानव संसाधन नीति नहीं बनाई गई थी, जिससे स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों, नर्सों एवं पैरामेडिक्स की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या 74,797 के विरूद्ध 25,793 (34 प्रतिशत) कर्मचारियों की कमी थी।

यद्यपि राज्य में चिकित्सक जनसंख्या अनुपात में 2016–22 के मध्य सुधार हुआ था एवं मार्च 2022 की स्थिति मे यह 1: 2492 था, फिर भी यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के 1:1000 के मानक एवं राष्ट्रीय अनुपात 1:1456 से बहुत पीछे था। राज्य में जनसंख्या के आधार पर चिकित्सकों के पद समान रूप से स्वीकृत नहीं किए गए, जिसके परिणामस्वरूप जिलों में चिकित्सकों का असमान वितरण हुआ, यह 2,181 व्यक्तियों पर एक चिकित्सक से लेकर 10,969 व्यक्तियों पर एक चिकित्सक तक था।

23 जिला चिकित्सालयों में आईपीएचएस मानकों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकों (तीन प्रतिशत), स्टाफ नर्स (27 प्रतिशत) एवं पैरामेडिकल स्टाफ (24 प्रतिशत) के

[20] पीएचसी बुडार, पीएचसी चिरमिरी, पीएचसी माडीसराय

[21] पीएचसी आसना, पीएचसी बेलार, पीएचसी मावीभाटा, पीएचसी कुकनार, पीएचसी(यूनानी) लाजोड़, अडेंगा, पीएचसी (होम्यो) धनोरा, सीएचसी (यूनानी) केशकाल

स्वीकृत पदों मे कमी थी। स्वीकृत पदों के विरूद्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों (33 प्रतिशत), चिकित्सा अधिकारी (चार प्रतिशत) एवं पैरामेडिकल स्टाफ (13 प्रतिशत) की उपलब्धता में कमी थी।

राज्य के 172 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आईपीएचएस मानकों के विरुद्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों (79 प्रतिशत), स्टाफ नर्स (पाँच प्रतिशत) एवं पैरामेडिक्स (तीन प्रतिशत) की कमी थी। राज्य के 776 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आईपीएचएस मानकों के विरुद्ध चिकित्सा अधिकारियों (33 प्रतिशत), स्टाफ नर्स (42 प्रतिशत) एवं पैरामेडिक्स (50 प्रतिशत) की कमी थी।

राज्य के 4,996 एसएचसी में स्वीकृत पदों के विरूद्ध एएनएम के 17 प्रतिशत पद रिक्त थे। 502 एसएचसी में एएनएम की नियुक्ति नहीं की गई थी, जिसके कारण इन एसएचसी में गर्भवती महिलाओं को आईपीएचएस मानकों के अनुसार मातृत्व सेवाएं प्रदान नहीं की जा सकीं।

राज्य में 23 एमसीएच में चिकित्सकों (256), स्टाफ नर्स (528) एवं पैरामेडिकल स्टाफ (131) संवर्ग में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 915 के विरूद्ध कार्यरत चिकित्सकों (190), स्टाफ नर्स (366) एवं पैरामेडिकल स्टाफ (138) संवर्ग सहित कुल 694 पद कार्यरत थे तथा इस प्रकार 24.15 प्रतिशत स्टाफ की कमी थी। शेष सात एमसीएच विंग में चिकित्सकों, स्टाफ नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ के पद स्वीकृत नहीं किए गए थे।

नमूना जाँच किए गए पाँच जीएमसी/जीएमसीएच में विशेषज्ञ चिकित्सकों, स्टाफ नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ की कमी क्रमशः 58 एवं 30 प्रतिशत; 64 एवं 15 प्रतिशत; 55 एवं 24 प्रतिशत के मध्य थी। डीकेएसपीजीआई सुपर स्पेश्यालिटी चिकित्सालय रायपुर में स्वीकृत पदों की संख्या 280 के विरूद्ध चिकित्सकों (2), स्टाफ नर्स (5) एवं पैरामेडिकल स्टाफ (2) के केवल नौ (3.21 प्रतिशत) पद नियमित कर्मचारियों से भरे गए एवं 208 पद संविदा कर्मचारियों से भरे गए थे।

नमूना जाँच किए गए जीएमसीएच में आईसीयू में स्टाफ नर्स से बेड का अनुपात 1:1 के मानकों के विरूद्ध 1:20 तक था एवं गैर–आईसीयू वार्डों में यह अनुपात 1:3 के मानकों के विरूद्ध 1:12 एवं 1:39 के मध्य था। इसके अलावा, स्टाफ नर्स की स्वीकृत संख्या भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मानकों से कम थी एवं इसे बेड क्षमता के अनुसार तय नहीं किया गया था।

यद्यपि, 2016–22 के दौरान चार नए जीएमसी एवं एक निजी मेडिकल कॉलेज खोले गए एवं प्रवेश क्षमता (यूजी) 1,100 से बढ़ाकर 1,370 कर दी गई तथापि मार्च 2022 की स्थिति मे कोई भी जीएमसी अधिकतम स्वीकार्य प्रवेश क्षमता प्राप्त नहीं कर सका ।

आयुष संस्थानों में चिकित्सकों (29 प्रतिशत), पैरामेडिक्स (31 प्रतिशत) एवं शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों में शिक्षण स्टाफ (29 प्रतिशत) की कमी थी । चयनित जिलों में, 538 में से 130 औषधालय बिना चिकित्सक के परिचालन में थे।

अनुशंसाएं

1. **छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवश्यक योग्य मानव संसाधन की उपलब्धता हेतु मानव संसाधन नीति तैयार कर सकती है;**
2. **छत्तीसगढ़ शासन सभी स्वास्थ्य संस्थानों में आईपीएचएस मानकों के अनुसार आवश्यक चिकित्सकों, स्टाफ नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ की स्वीकृत संख्या को बढ़ा**

सकता है। क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए सभी डीएच में चिकित्सकों के पद समान रूप से स्वीकृत किए जा सकते हैं;

3. छत्तीसगढ़ शासन को स्वीकृत पदों के सापेक्ष विशेषज्ञ चिकित्सकों, स्टाफ नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।
4. मरीजों को विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी जिला चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रत्येक विभाग के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक की पदस्थापना की जा सकती है;
5. छत्तीसगढ़ शासन को उचित नर्सिंग देखभाल के लिए आईसीयू एवं गैर आईसीयू वार्डों में स्टाफ नर्स बेड अनुपात में सुधार करने के लिए जीएमसीएच में अधिक स्टाफ नर्स पदस्थ करना चाहिए; तथा
6. छत्तीसगढ़ शासन को 130 आयुष स्वास्थ्य संस्थानों जो नियमित चिकित्सकों के बिना संचालित थे चिकित्सकों की पदस्थापना के लिए कार्यवाही करनी चाहिए।